रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-जी.जे.-अ.-12122020-223674 CG-GJ-E-12122020-223674

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546] No. 546] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/ अग्रहायण 20, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 4 दिसम्बर, 2020

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020

आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु.005.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की धारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बुलियन एक्सचेंज, उसके समाशोधन निगमों, निक्षेपागारों और वॉल्टों को मान्यता देने और उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए एक ढांचे का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है. अर्थात:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

6058 GI/2020 (1)

परिभाषाएं

- 2. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके नीचे दिए गए हैं और उनके सजातीय पदों का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा :-
 - (क) "अधिनियम" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) अभिप्रेत है;
 - (ख) किसी व्यक्ति के संबंध में "सहयुक्त" के अंतर्गत एक ऐसा अन्य व्यक्ति होगा:
 - (i) जो स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रथम व्यक्ति पर नियंत्रण का प्रयोग करता है:
 - (ii) जो प्रथम व्यक्ति की कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण रखता है;
 - (iii) जो प्रथम व्यक्ति की एक नियंत्री कंपनी या कोई सहायक कंपनी है;
 - (iv) जो प्रथम व्यक्ति का नातेदार है;
 - (v) जो किसी ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है, जिसमें प्रथम व्यक्ति भी एक सदस्य है;
 - (vi) ऐसे अन्य मामले, जहां प्राधिकरण की यह राय है कि किसी व्यक्ति को तथ्यों और कारकों के आधार पर, जिसके अंतर्गत नियंत्रण, स्वतंत्रता और हित-संघर्ष की सीमा भी है, एक सहयुक्त समझा जाएगा।
- (ग) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र के अधीन निगमित कोई बैंककारी कंपनी;
- (ङ) किसी बुलियन निक्षेपागार रसीद के संबंध में "हिताधिकारी स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम किसी बुलियन निक्षेपागार के पास उस रूप में अभिलिखित है;
- (च) "बुलियन" से बहुमूल्य धातुएं अभिप्रेत होंगी, जिसके अंतर्गत छड़ों के रूप में स्वर्ण, चांदी या कोई अन्य बहुमूल्य धातु या अनाबंटित स्वर्ण, चांदी या ऐसी अन्य बहुमूल्य धातुएं हैं जो प्राधिकरण समय-समय पर बुलियन व्यापार के संबंध में उचित परिदान, क्वालिटी, मात्रा और किसी अन्य पहलु के संबंध में इस बारे में सुसंगत समझे;
- (छ) "बुलियन समाशोधन निगम" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है जिसे प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन बुलियन बाजार में समाशोधन और परिनिर्धारण कृत्यों की प्रस्थापना करने के लिए मान्यता प्रदान की गई;
- (ज) "बुलियन समाशोधन सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त बुलियन समाशोधन निगम में समाशोधन अधिकार हैं और वह प्राधिकरण द्वारा उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (झ) "बुलियन संविदा" से बुलियन, बुलियन निक्षेपागार रसीदों या ऐसे अन्य बुलियन उत्पादों के क्रय और विक्रय के लिए संविदाएं अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत बुलियन के व्युत्पाद, बुलियन हाज़िर परिदान संविदाएं और ऐसी अन्य संविदाएं भी हैं, जो प्राधिकरण अनुज्ञात करे;
- (ञ) "बुलियन निक्षेपागार" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बुलियन में निक्षेपागार कारबार करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है;

- (ट) "बुलियन निक्षेपागार रसीद" से पैनलित वॉल्ट द्वारा भंडारण के लिए ऐसे बुलियन की प्राप्ति पर, जिसका किसी भी मान्यताप्राप्त बुलियन एक्सचेंज में व्यापार किया जा सकता है, किसी बुलियन निक्षेपागार द्वारा इन विनियमों के अधीन किसी किसी निक्षेपकर्ता को अंतर्निहित बुलियन सहित इलैक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई कोई रसीद अभिप्रेत है;
- (ठ) "बुलियन एक्सचेंज" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसी कोई वित्तीय संस्था अभिप्रेत है जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बुलियन संविदाओं में सहायता करने, उसे विनियमित और नियंत्रित करने के प्रयोजनार्थ स्थापित और मान्यताप्राप्त है;
- (ड) "बुलियन बाजार" के अतर्गत बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन निक्षेपागार, वॉल्ट, उनसे संबंधित बुलियन संविदाएं और उनमें अंतर्वलित कोई अन्य व्यक्ति भी है;
- (ढ) "बुलियन व्यापारिक सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी बुलियन एक्सचेंज में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हैं:
- (ण) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 मे यथा-परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र में निगमित कोई कंपनी भी है:
 - (त) "उपभोक्ता" से किसी बुलियन व्यापारिक सदस्य का कोई संघटक अभिप्रेत है;
- (थ) "नियंत्रण" के अंतर्गत अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने या व्यष्टिक रूप से अथवा मिलकर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, जिसके अंतर्गत उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक करार या मतदान करार भी है, या किसी अन्य रीति में प्रयोक्तव्य प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों को नियंत्रित करने का अधिकार भी है।

परन्तु किसी लक्ष्यित कंपनी के किसी निदेशक या अधिकारी के बारे में मात्र ऐसी प्रास्थिति धारण करने के आधार पर यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसी लक्ष्यित कंपनी पर नियंत्रण रखता है;

- (द) "निक्षेपकर्ता" से ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है, जो किसी बुलियन निक्षेपागार में पैनलित वॉल्ट को भंडारण के लिए बुलियन का परिदान करता है;
- (ध) "उचित परिदान मानक" से भारतीय मानक ब्यूरो या किसी ऐसी अन्य संस्था द्वारा, जो बुलियन एक्सचेंज अवधारित करे, यथा-अधिसूचित बुलियन की क्वालिटी या मानक अभिप्रेत है;
- (न) "शासी निकाय" से बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम या किसी बुलियन निक्षेपागार का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;
- (प) "बीमा कंपनी" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (8) में उसका है या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र के अधीन निगमित कोई बीमा कंपनी:
- (फ) "नेटिंग" से किसी बुलियन समाशोधन निगम द्वारा बुलियन निक्षेपागार रसीदों से उद्भूत होने वाली पारस्परिक बाध्यताओं या दावों का मुजरा या समायोजन करके किसी बुलियन समाशोधन निगम के बुलियन समाशोधन सदस्यों के शुद्ध संदाय या परिदान बाध्यताओं का अवधारण करना अभिप्रेत है;
- (ब) "शुद्ध संपत्ति" से, समादत्त साम्या शेयर पूंजी जमा शेयर प्रीमियम लेखा और मुक्त आरक्षितियां (कानूनी निधियों, फायदा निधियों और पुनर्मूल्यांकन में से सृजित आरक्षितियों को छोड़कर) घटा कारबार में निवेश, चाहे वह संबंद्ध हो अथवा असंबद्ध, संचित हानियों के कुल मूल्य और ऐसे आस्थगित व्यय, जिन्हें अपलिखित नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत अपलिखित न किए गए प्रकीर्ण व्यय भी हैं, का संकलित मूल्य अभिप्रेत है;
- (भ) "भागीदार" से ऐसा बुलियन निक्षेपागार भागीदार अभिप्रेत है, जो इन विनियमों के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

- (म) बुलियन निक्षेपागार रसीदों के अर्जन या धारण करने या नियंत्रण के संदर्भ में "मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों" का यथावश्यक परिवर्तनों सहित वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (शेयरों का सारवान् अर्जन और ग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) या उसके किसी संशोधन में उसका है;
- (य) "जनता" के अंतर्गत जनता का कोई सदस्य या वर्ग भी है किन्तु इसके अंतर्गत कोई बुलियन व्यापारिक सदस्य या बुलियन संशोधन सदस्य या उसका सहयुक्त या अभिकर्ता नहीं है;
- (कक) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 2 की उपधारा (72) में उसका है;
- (खख) "अभिलेख" या "दस्तावेज़" के अंतर्गत भौतिक रूप में या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) के अधीन यथा-परिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में या ऐसे अन्य रूप में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, रखा गया अभिलेख या दस्तावेज़ भी है;
- (गग) बुलियन निक्षेपागार रसीद के संबंध में "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से ऐसा बुलियन निक्षेपागार अभिप्रेत है, जिसका नाम वॉल्ट प्रबंधक के रजिस्टर में इस रूप में दर्ज है;
- (घघ) "विनियम" से समय-समय पर यथा-संशोधित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम. 2020 अभिप्रेत है:
- (ङङ) "विनियामक विभाग" से किसी बुलियन एक्सचेंज या किसी बुलियन समाशोधन निगम या किसी बुलियन निक्षेपागार का कोई ऐसा विभाग अभिप्रेत है, जिसे विनियमनकारी शक्तियां और कर्तव्य सौंपे गए हैं और इसके अंतर्गत ऐसा विभाग भी है, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (चच) "वॉल्ट" से ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है, जिसमें वॉल्ट प्रबंधक निक्षेपकर्ता द्वारा निक्षेप किए गए बुलियन को अभिरक्षा में लेता है और इसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित भंडारण के लिए स्थान भी है;
- (छछ) "वॉल्ट कारबार" से बुलियन के भंडारण के लिए वॉल्ट स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने का कारबार अभिप्रेत है;
- (जज) "वॉल्ट प्रबंधक" से प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी बुलियन निक्षेपागार द्वारा वॉल्ट कारबार चलाने के लिए पैनलित वॉल्ट का प्रबंधन करता है ।
- 3. उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम की मान्यता

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम की मान्यता के लिए आवेदन

- 4. (1) कोई व्यक्ति किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम का संचालन, आयोजन या आयोजन करने में सहायता तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यक्ति ने इन विनियमों के अनुसार प्राधिकरण से मान्यता अभिप्राप्त न कर ली हो।
- (2) ऐसा कोई निगमित निकाय, जो बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के रूप में मान्यता दिए जाने का इच्छक है, उस प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
 - (3) उप-विनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जो विनिर्दिष्ट की जाएं और

उसके साथ बुलियन संविदाओं के विनियमन और नियंत्रण के लिए, यथास्थिति, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समशोधन निगम की उप-विधियों की प्रति तथा साधारणतया बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के गठन से संबंधित और विशिष्टतया –

- (क) ऐसे बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के शासी निकाय, उसके गठन और प्रबंधतंत्र की शक्तियों और उस रीति से संबंधित, जिसमें उसका कारबार किया जाना है;
- (ख) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के पदाधिकारियों की शक्तियों और उनके कर्तव्यों से संबंधित:
- (ग) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम में विभिन्न वर्गों के सदस्यों के प्रवेश, सदस्यता के लिए अर्हताओं और ऐसे सदस्यों के अपवर्जन, निलंबन, निल्कासन और पुनः प्रवेश से संबंधित;
 - (घ) ऐसे अन्य विषय (विषयों) से संबंधित, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे,

नियमों की एक प्रति लगाई जाएगी।

(4) उप-विनियम (2) के अधीन बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के रूप में मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस लगाई जाएगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम को मान्यता प्रदान करने के लिए अपेक्षाएं

- 5. यथास्थिति, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के रूप में मान्यता की ईप्सा करने वाला आवेदक :-
 - (क) शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी होगी;
 - (ख) डिम्युचुअलाइज़ड हो गया होगा;
 - (ग) उसकी शुद्ध संपत्ति 3 करोड़ अमेरिकी डालर होगी, जिसे सतत आधार पर बनाए रखा जाएगा;
 - (घ) उसके निदेशक और उसके शेयरधारक होंगे, जो शेयर धारित करते हैं या धारित करने का आशय रखते हैं, जो इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं;
 - (ङ) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट स्वामित्व और शासन ढांचे से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करेगा;
 - (च) उसका अपेक्षित सामर्थ्य होगा, जिसके अंतर्गत उसकी वित्तीय हैसियत, कार्यात्मक विशेषज्ञता और आधारभूत ढांचा भी है।

स्पष्टीकरण:- इस विनियम के उप-खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "डिम्युचुअलाइज़ड" पद का यह अर्थ है कि आवेदक का स्वामित्व और प्रबंधतत्र, यथास्थिति, व्यापारिक अधिकारों या समाशोधन अधिकारों से पृथक् है ।

- (2) बुलियन एक्सचेंज के रूप में मान्यता की ईप्सा करने वाले व्यक्ति के पास, उप-विनियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त,
 - (क) सौदों के व्यवस्थित निष्पादन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना होगी;
 - (ख) आनलाइन स्क्रीन-आधारित व्यापार प्रणाली होगी;
 - (ग) एक ऐसी आनलाइन निगरानी क्षमता होगी, जो बाजार की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की दृष्टि से समयोचित स्थिति, कीमतें और मात्रा को मानीटर करती है;
 - (घ) अपने प्लेटफार्म पर, जहां कहीं भी लागू हो, व्यापार के लिए बुलियन निक्षेपागार रसीदों को सूचीबद्ध करने के लिए पर्याप्त आधारभृत संरचना होगी;
 - (ङ) व्यापारिक सदस्यों का व्यापक नेटवर्क रखने की आवश्यक क्षमता होगी और उसके पास उसके सदस्यों को प्रवेश देने और उन्हें विनियमित करने की पर्याप्त सुविधा होगी;

- (च) अपने व्यापारिक सदस्यों और बुलियन समाशोधन निगम से कनैक्टिविटी स्थापित करने के आवश्यक इंतज़ाम होंगे;
- (छ) पर्याप्त उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण निधि होगी;
- (ज) सौदों और उनके परिनिर्धारण के कारण उद्भूत होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली और माध्यस्थम् प्रणाली होगी;
- (झ) समयोचित सौदों, मात्राओं और बोली के बारे में कम से कम दो ऐसे सूचना वेंडिंग नेटवर्क को, जो उपभोक्ताओं को सुगम हैं, सूचना का प्रसार करने की सुविधा होगी;
- (ञ) कारबार निरन्तरता योजना द्वारा समर्थित, जिसके अंतर्गत उचित और साम्यापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आपदा वापसी साइट भी है, पर्याप्त तंत्र-प्रणाली क्षमता होगी;
- (ट) अपने नियोजन में पर्याप्त संख्या में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास पर्याप्त वृत्तिक और अन्य सुसंगत अनुभव है;
- (ठ) ऐसी अन्य शर्तें, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम को मान्यता प्रदान करना

- 6. (1) यदि प्राधिकरण का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो इस निमित्त आवश्यक हो और ऐसी अतिरिक्त जानकारी अभिप्राप्त करने के पश्चात्, जो वह अपेक्षा करे, यह समाधान हो जाता है कि निम्नलिखित मानदंड पूरा हो गया है तो वह बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम को, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों और ऐसी अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उचित समझे, मान्यता प्रदान कर सकेगा:
 - (क) यह कि मान्यता के लिए आवेदन करने वाले यथास्थिति, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के नियम और उप-विधियां ऐसी शर्तों के अनुरूप हैं, जो उचित व्यवहार सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को संरक्षित करने की दृष्टि से अपेक्षित हों;
 - (ख) यह कि बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम ऐसी अन्य शर्तों का, जो प्राधिकरण उसके कारबार के क्रियाकलापों, उसकी प्रास्थिति और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करे, अनुपालन करने का इच्छुक है; और
 - (ग) यह कि बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम को मान्यता प्रदान करना बुलियन बाजार के हित में और व्यापार के भी हित में होगा।
- (2) उन शर्तों के अंतर्गत, जो प्राधिकरण उप-विनियम (1) के अधीन अधिरोपित कर सकेगा, अन्य बातो के साथ-साथ निम्नलिखित होंगी और उनसे संबद्ध होंगी:-
 - (क) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम की सदस्यता के लिए अर्हताएं;
 - (ख) वह रीति, जिसमें सदस्यों के बीच सविदाएं की जाएंगी और उन्हें प्रवर्तित किया जाएगा;
 - (ग) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के स्वामित्व, शासन, आधारभूत संरचना, वित्तीय हैसियत और कार्यात्मक विशेषज्ञता संबंधी अपेक्षाएं;
 - (घ) सदस्यों के लेखा रखना और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उनकी लेखापरीक्षा कराना, जब कभी प्राधिकरण द्वारा ऐसी लेखापरीक्षा की अपेक्षा की जाए;
 - (ङ) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम के नियमों और उप-विधियों का प्रकाशन;
 - (च) ऐसे अन्य विषय, जो प्राधिकरण उपभोक्ताओं और बुलियन बाजार के हित में उचित समझे।
- (3) प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई मान्यता नवीकरण के अधीन रहते हुए, ऐसी अवधि के लिए होगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

- (4) इस विनियम के अधीन किसी बुलियन एक्सचेंज या किसी बुलियन समाशोधन निगम को प्रदान की गई प्रत्येक मान्यता राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी मान्यता राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।
 - (5) बुलियन एक्सचेंज प्राधिकरण से लिखित में अनुमोदन प्राप्त होने पर ही व्यापारिक प्रचालन आरंभ करेगा ।
- (6) मान्यता प्रदान करने के लिए कोई भी आवेदन संबंधित आवेदक को इस विषय में सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ही नामंजूर किया जाएगा और आवेदक को ऐसी नामंजूरी के लिए लिखित में कारण संसूचित किए जाएंगे।
- (7) किसी बुलियन एक्सचेंज के, विनियम 3 के उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित नियमों या उप-विधियों को केवल प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ही संशोधित किया जाएगा ।

मान्यता का प्रत्याहरण

- 7. (1) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम को इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई मान्यता व्यापार के हित में या लोक हित में प्रत्याहत कर ली जाए तो प्राधिकरण ऐसे बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के शासी निकाय को इस बारे में एक लिखित नोटिस की तामील कर सकेगा कि प्राधिकरण नोटिस में कथित कारणों से मान्यता को प्रत्याहत करने पर विचार कर रहा है।
 - (2) प्राधिकरण संबंधित शासी निकाय को इस विषय में सुने जाने का अवसर भी प्रदान करेगा।
- (3) प्राधिकरण, संबंधित शासी निकाय के निवेदनों पर, यदि कोई हैं, विचार करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम को प्रदान की गई मान्यता का प्रत्याहरण कर सकेगा।
- (4) ऐसे किसी प्रत्याहरण का ऐसी किसी बुलियन संविदाओं की विधिमान्यता पर, जो प्रत्याहरण की ऐसी अधिसूचना की तारीख से पूर्व की गई थी, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (5) प्राधिकरण, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम से परामर्श करने के पश्चात्, प्रत्याहरण की अधिसूचना में या इसी प्रकार प्रकाशित किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना में, उस तारीख को बकाया किन्हीं बुलियन संविदाओं के सम्यक् पालन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

अध्याय 3

बुलियन एक्सचेंज के कृत्य

सौदों का समाशोधन और परिनिर्धारण

8. प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन एक्सचेंज के रूप में प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख से अपने सौदों के समाशोधन और परिनिर्धारण के लिए किसी मान्यताप्राप्त बुलियन समाशोधन निगम की सेवाओं का उपयोग करेगा।

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम के बीच करार

- 9. (1) कोई बुलियन एक्सचेंज, उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी बुलियन समाशोधन निगम के बीच उस प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, लिखित में करार के अनुसरण में उसकी सेवाओं का उपभोग करेगा।
- (2) बुलियन एक्सचेंज, उन विवादों या दावों के परिनिर्धारण के लिए, जो ऐसे बुलियन एक्सचेंज पर निष्पादित सौदों के समाशोधन और परिनिर्धारण से उद्भूत होते हैं, अपनी माध्यस्थम् प्रणाली का विस्तार करेगा।

बुलियन एक्सचेंज के कृत्य

- 10. (1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बुलियन एक्सचेंज का यह कर्तव्य होगा कि वह बुलियन बाजार में उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करे, बुलियन संविदाओं को विनियमित करे और ऐसे अध्युपायों द्वारा, जैसा प्राधिकरण निदेश दे, बुलियन बाजार में वृद्धि, पारदर्शिता और व्यवस्थित विकास के संवर्धन के लिए वैश्विक अभिकरणों या संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करे।
- (2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट अध्युपाओं में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा:
 - (क) बुलियन संविदाओं को विनियमित करना;

- (ख) बुलियन व्यापारिक सदस्यों और ऐसे अन्य मध्यवर्तियों के, जो बुलियन एक्सचेंज के साथ सहयुक्त हो सकेंगे, कामकाज को विनियमित करना:
 - (ग) उचित परिदान मानक स्थापित और प्रवर्तित करना;
 - (घ) बुलियन बाजार में कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार को प्रतिषिद्ध करना;
 - (ङ) उपभोक्ता शिक्षण का संवर्धन करना और बुलियन बाजार के मध्यवर्तियों को प्रशिक्षण देना;
- (च) बुलियन व्यापारिक सदस्यो, मध्यवर्तियों और बुलियन एक्सचेंज से सहयुक्त अन्य व्यक्तियों से जानकारी मांगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जांच और लेखापरीक्षा कराना;
 - (छ) इस विनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीस या अन्य प्रभार उद्गृहीत करना;
 - (ज) क्वालिटी के मानक, मात्रा और अन्य पैरामीटर और ऐसे मानकों के सत्यापन के लिए साधन स्थापित करना;
 - (झ) बुलियन को वॉल्ट में रखने और उसके परिवहन के लिए मानक स्थापित करना;
 - (ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे ।

अध्याय 4

बुलियन समाशोधन निगमों की साधारण बाध्यताएं

साधारण बाध्यताएं

- 11. (1) बुलियन समाशोधन निगम इन विनियमों के अधीन अपेक्षाओं का और संबंधित बुलियन एक्सचेंज के साथ हुए करार का अनुपालन करेगा।
- (2) बुलियन समाशोधन निगम, उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बाध्यताओं के अतिरिक्त, ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, जो प्राधिकरण समय-समय पर अधिरोपित करे।

परिनिर्धारण और नेटिंग

- 12. (1) किसी बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम में किसी संव्यवहार की बाबत भुगतान और परिनिर्धारण ऐसे बुलियन समाशोधन निगम और ऐसे बुलियन एक्सचेंज की उप-विधियों में यथा-विहत नेटिंग या सकलन प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
- (2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट पक्षकारों के बीच किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम की उप-विधियों के अधीन किए गए किसी संव्यवहार की बाबत किया गया भुगतान और परिनिर्धारण अंतिम, अप्रतिसंहरणीय और ऐसे पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।
- (3) जब कोई परिनिर्धारण अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हो गया है तब किसी बुलियन समाशोधन सदस्य द्वारा या उपभोक्ताओं द्वारा बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम की उप-विधियों के अनुसार उसके परिनिर्धारण या अन्य बाध्यताओं मद्धे अंशदान किए गए किसी सांपार्श्विक या निक्षेप या मार्जिन का विनियोग करने के यथास्थिति, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के अधिकार को यथास्थिति, उक्त बुलियन समाशोधन सदस्य या उपभोक्ताओं के किसी अन्य दायित्व या उनके विरुद्ध दावे के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए, इस विनियम में निर्दिष्ट परिनिर्धारण, चाहे वह सकल हो या नेट, ऐसे परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप संदेय धनराशि, बुलियन या अन्य संव्यवहार के अवधारित होने पर यथाशीघ्र अंतिम और अप्रतिसंहरणीय है, चाहे ऐसी धनराशि, बुलियन या अन्य संव्यवहार का वास्तव में भुगतान किया गया हो अथवा नहीं।

बुलियन समाशोधन निगम का अधिकार

13. बुलियन समाशोधन सदस्यों के समाशोधन और परिनिर्धारण कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले देयों की बुलियन समाशोधन सदस्यों के सांपार्श्विकों, निक्षेपों और उसकी आस्तियों से वसूली करने का किसी बुलियन समाशोधन निगम के अधिकार को बुलियन समाशोधन सदस्यों के किसी अन्य दायित्व या उसके विरुद्ध किसी दावे के मुकाबले प्राथमिकता प्राप्त होगी।

अध्याय 5

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम का स्वामित्व

साधारण शर्तें

- 14. (1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी बुलियन एक्सचेंज या किसी बुलियन समाशोधन निगम में किसी व्यक्ति के शेयरधारण करने या मतदान करने के अधिकार इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।
- (2) इस अध्याय में यथा-विनिर्दिष्ट शेयरधारिता के अंतर्गत प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रित ऐसी कोई लिखत भी है जिसमें किसी भावी तारीख को साम्या की हकदारी या साम्या पर अधिकारों का उपबंध है।

किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम में शेयरधारिता

- 15. (1) कोई भारतीय बुलियन एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त स्ट्रॉक एक्सचेंज या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र का कोई बुलियन एक्सचेंज या स्ट्रॉक एक्सचेंज, यथास्थिति, किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम की सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतः या किसी संघ के माध्यम से एक ऐसी समनुषंगी का गठन कर सकेगा जिसमें इकावन प्रतिशत समादत्त साम्या शेयर पूंजी ऐसे बुलियन एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज या उनके द्वारा गठित संघ द्वारा धारित है।
- (2) शेष शेयर पूंजी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (चाहे वह भारतीय हो या विदेशी अधिकार-क्षेत्र का) अर्जित या धारित की जा सकेगी और ऐसा व्यक्ति किसी भी समय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या तो व्यष्टिक रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ यथास्थिति, किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम में पांच प्रतिशत से अधिक समादत्त साम्या शेयर पूंजी अर्जित या धारित नहीं करेगा।

परन्तु कोई बुलियन एक्सचेंज, कोई बुलियन निक्षेपागार, कोई स्टॉक एक्सचेंज, कोई निक्षेपागार, कोई बैंककारी कंपनी, कोई बीमा कंपनी या कोई वस्तु डेरिवेटिव एक्सचेंज, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी अधिकार-क्षेत्र का, या भारतीय अधिकार-क्षेत्र की कोई लोक वित्तीय संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वित्तीय संस्था, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, या तो व्यष्टिक रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, यथास्थिति, किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम की पन्द्रह प्रतिशत समादत्त साम्या शेयर पूंजी अर्जित या धारित कर सकेगी।

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम में शेयरों को अर्जित या धारित करने के लिए पात्रता

16. (1) कोई व्यक्ति, किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के किन्हीं साम्या शेयरों या मतदान अधिकारों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः तब तक अर्जित या धारित नहीं करेगा जब तक कि वह उपयुक्त और उचित व्यक्ति न हो:

परन्तु यह सुनिश्चित करने का भार बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम पर होगा कि उसके सभी शेयरधारक उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं:

परन्तु यह और कि यह सुनिश्चित करने की ऐसी अपेक्षा कि उसके सभी शेयरधारक उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं, किसी सूचीबद्ध बुलियन एक्सचेंज को ऐसे किसी व्यक्ति की शेयरधारिता के लिए लागू नहीं होगी, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे सूचीबद्ध बुलियन एक्सचेंज के पांच प्रतिशत से कम साम्या शेयर या मतदान अधिकार अर्जित करता है।

- (2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम में, या तो व्यष्टिक रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे साम्या शेयर या मतदान अधिकार अर्जित करता है, जो इस प्रकार अर्जित करने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) को पांच प्रतिशत से अधिक किन्हीं मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बनाते हैं, ऐसे अर्जन के पन्द्रह दिन के भीतर प्राधिकरण से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, पूर्व अनुमोदन की ईप्सा करेगा।
- (3) उप-विनियम (2) के निबंधनानुसार अनुमोदन की ईप्सा करने के लिए आवेदन, प्राधिकरण को संबंधित बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के माध्यम से किया जाएगा।
- (4) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम शेयरधारकों द्वारा उप-विनियम के अधीन दी गई घोषणाओं और वचनबंधों को सत्यापित करेगा और आवेदन को अपनी सिफारिश सहित प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

शेयरधारिता सीमाओं की मानीटरिंग

17. बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शेयरधारिता संबंधी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मानीटरिंग प्रक्रिया अपनाएगा।

शेयरधारिता का प्रकटन

- 18. यथास्थिति, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम, प्राधिकरण को उस प्ररूप में, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तिमाही आधार पर, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर अपनी शेयरधारिता का पैटर्न प्रकट करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे:-
 - (क) दस सबसे बड़े शेयरधारकों के नाम, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और प्रतिशतता सहित;
 - (ख) उन शेयरधारकों के नाम, जिन्होंने उस तिमाही में शेयर अर्जित किए थे।

अभिलेख रखना

19. कोई बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम, प्रवृत्त अन्य विधियों के अधीन अपेक्षाओं के अतिरिक्त, अपनी प्रतिभूतियों को जारी या अंतरण किए जाने से संबंधित सभी बहियां, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज़ और अभिलेख रखेगा और उन्हें कम से कम आठ वर्ष की अविध के लिए परिरक्षित रखेगा।

अध्याय 6

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम का शासन

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम का शासन

- 20. (1) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन (आई.ओ.एस.सी.ओ.) द्वारा विहित शासन के व्यापक सिद्धांतों और वित्तीय बाजार ढांचा (एफ.एम.आई.) के लिए सिद्धांतों और ऐसे अन्य शासन संबंधी मानदंडों को, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, अपनाएगा।
- (2) प्रत्येक मान्यताप्राप्त बुलियन एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त बुलियन समाशोधन निगम के शासी बोर्ड में निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, शेयरधारक निदेशक, लोक हित निदेशक और प्रबंध निदेशक होगा:-
 - (i) अध्यक्ष का निर्वाचन शासी बोर्ड द्वारा लोक हित निदेशकों में से किया जाएगा;
 - (ii) लोक हित निदेशकों की संख्या शेयरधारक निदेशकों से कम नहीं होगी;
 - (iii) बुलियन व्यापारिक सदस्य या बुलियन समाशोधन सदस्य या उनके सहयुक्त और अभिकर्ता, इस बात पर विचार किए बिना कि वे किस बुलियन स्ट्रॉक एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के सदस्य हैं, शासी बोर्ड में नहीं होंगे:

परन्तु उन व्यक्तियों को, जो किसी ऐसी लोक वित्तीय संस्था या किसी बैंक के बोर्ड में है, जो पब्लिक सेक्टर में है या जिसका या तो कोई अभिज्ञेय अंतिम संप्रवर्तक नहीं है या अंतिम संप्रवर्तक पब्लिक सेक्टर में है या उसका शेयरधारिता सुभिन्न है और ऐसी लोक वित्तीय संस्था या ऐसा बैंक या उसका सहयुक्त एक समाशोधन सदस्य और/या व्यापारिक सदस्य है. बुलियन समाशोधन सदस्य और/या बुलियन व्यापारिक सदस्य या उनके सहयक्त नहीं समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि लोक वित्तीय संस्था या पब्लिक सेक्टर के बैंक के सहयुक्तों के ऐसे स्वतंत्र निदेशक भी, जो बुलियन समाशोधन सदस्य और/या बुलियन व्यापारिक सदस्य हैं और जहां कि अधिकांश शेयरधारिता ऐसी लोक वित्तीय संस्था या पब्लिक सेक्टर बैंक की है, बुलियन समाशोधन सदस्य और/या बुलियन व्यापारिक सदस्य नहीं समझे जाएंगे।

- (iv) निदेशकों की नियुक्ति प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन और ऐसी अन्य अपेक्षाओं को, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, पूरा करने के अध्यधीन होगी;
- (v) लोक हित निदेशक को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे कार्य-निष्पादन के ऐसे

पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

- (vi) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अधीन रहते हुए अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी।
- (3) प्राधिकरण द्वारा बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम का सुशासन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

निदेशकों और प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिकों के लिए आचार संहिता

- 21. (1) किसी मान्यताप्राप्त बुलियन एक्सचेंज और किसी मान्यताप्राप्त बुलियन समाशोधन निगम का प्रत्येक निदेशक और प्रबंधतंत्र का प्रमुख कार्मिक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट नैतिकता और आचार संहिता का पालन करेगा।
- (2) किसी मान्यताप्राप्त बुलियन एक्सचेंज और किसी मान्यताप्राप्त बुलियन समाशोधन निगम का प्रत्येक निदेशक और प्रबंधतंत्र का प्रमुख कार्मिक, अध्याय 14 में यथा-उपबंधित उपयुक्त और उचित व्यक्ति होगा ।
- (3) प्राधिकरण, निदेशकों या प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक द्वारा इन विनियमों या नैतिकता और आचार संहिता का पालन करने में असफल रहने पर या किसी हित-संघर्ष की दशा में, या तो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त बुलियन समाशोधन द्वारा निर्देश करने पर या स्वप्रेरणा से समुचित कार्रवाई कर सकेगा, जिसके अंतर्गत किसी निदेशक या प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उन्हें हटाना या उनकी नियुक्ति का पर्यवसान करना भी है।

विनियामक विभागों का पृथक्करण

22. बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम अपने विनियामक विभागों को अन्य विभागों से प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में पृथक् करेगा।

कानूनी समितियां

- 23. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त बुलियन एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त बुलियन समाशोधन निगम एक कार्यात्मक समिति, जिसमें सदस्य और कोर परिनिर्धारण गारंटी निधि समिति शामिल होगी; एक शिकायत निवारण समिति; एक नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति; एक निरीक्षण समिति, जिसमें प्रोद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति शामिल होगी; एक सलाहकार समिति; एक लेखापरीक्षा समिति; और एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन समितियों की संरचना, उनका कोरम और उनके कृत्य उस रीति में होंगे, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

- 24. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त बुलियन एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त बुलियन समाशोधन निगम एक ऐसे अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन विनियमों या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निदेशों को मानीटर करने और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) उप-विनियम (1) में कथित किसी उपबंध के अननुपालन के बारे में अनुपालन अधिकारी द्वारा तुरंत और स्वतंत्र रूप से प्राधिकरण को रिपोर्ट किया जाएगा।

अध्याय 7

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम की

साधारण बाध्यताएं

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण निधि

25. प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, उपभोक्ता निक्षण के प्रयोजनार्थ और बुलियन व्यापारिक सदस्यों द्वारा व्यतिक्रमों की दशा में उपभोक्ताओं को उस रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, प्रतिकर प्रदान करने के लिए एक न्यास के रूप में एक उपभोक्ता संरक्षण निधि स्थापित करेगा।

सौदों के परिनिर्धारण की गारंटी के लिए निधि

- 26. (1) प्रत्येक बुलियन समाशोधन निगम किसी बुलियन एक्सचेंज में निष्पादित सौदों के परिनिर्धारण की गारंटी के लिए एक निधि स्थापित करेगा और उसे बनाए रखेगा।
- (2) इस निधि में बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन व्यापारिक सदस्यों और समाशोधन सदस्यों द्वारा उस रीति में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अंशदान किया जाएगा।
- (3) किसी समाशोधन सदस्य के अपनी परिनिर्धारण बाध्यताओं को पूरा करने मे असफल होने की दशा में, उस परिनिर्धारण को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा।
- (4) निधि का कोष, समाशोधन सदस्य(सदस्यों) के असफल होने के कारण उद्भूत होने वाली परिनिर्धारण बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (5) निधि के कोष की पर्याप्तता को प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में कालिक दबाव कसौटियों द्वारा परखा जाएगा।
 - (6) निधि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगा ।

लाभों और निवेशों का उपयोग

- 27. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम द्वारा लाभों और निवेशो का उपयोग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगा।
- (2) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगा, चाहे उसमें निधियों का फैलाव करना अंतर्वलित हो अथवा नहीं:

परन्तु कोषागार निवेशों की दशा में प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी यदि ऐसे निवेश बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार हैं:

परन्तु यह और कि बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम निधियों का फैलाव अंतर्वलित करने वाले या अन्यथा ऐसे क्रियाकलापों में, जो यथास्थिति, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के रूप में उसके क्रियाकलाप से असंबद्ध हैं या आनुषंगिक नहीं है, किसी पृथक् विधिक इकाई के माध्यम से और प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन रहते हुए संलग्न हो सकेगा।

समान, उचित और पारदर्शी पहुंच

- 28. (1) बुलियन समाशोधन निगम यह सुनिश्चित करने के लिए नीति संबंधी एक ढांचा अधिकथित करेगा कि शेयरधारक बुलियन एक्सचेंज(एक्सचेंजों) में निष्पादित और गैर-शेयरधारक बुलियन एक्सचेंज(एक्सचेंजों) में निष्पादित सौदों के परिनिर्धारण में समाशोधन और परिनिर्धारण सेवाएं प्रदान करते समय कोई भेदभाव न हो।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन ढांचा, बुलियन समाशोधन निगम की वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और उसमें उस आधार के बारे में, जिस पर शेयरधारक बुलियन एक्सचेंज(एक्सचेंजों) को बुलियन समाशोधन निगम की समाशोधन और परिनिर्धारण सेवाओं तक पहुंच प्रदान की गई है और रीति के बारे में, जिसमें गैर-शेयरधारक बुलियन एक्सचेंज(एक्सचेंजों) द्वारा समाशोधन और परिनिर्धारण सेवाओं तक पहुंच अभिप्राप्त करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना चाहिए, उपबंध किया जाएगा।
- (3) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम, सभी व्यक्तियों को, उनके सहयुक्तों और संबद्ध इकाइयों के प्रति किसी भेदभाव के बिना समान, अनिर्बंधित, पारदर्शी और उचित पहुंच सुनिश्चित करेगा।

अध्याय 8

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम की सदस्यता

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम की सदस्यता के लिए अईताएं

29. बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम को सदस्यता प्रदान करने के लिए अर्हता संबंधी मानदंडों के लिए, जिनके अंतर्गत संगठन के ढांचे का स्वरूप, वृत्तिक कर्मचारियों की न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव, प्रमुख वित्तीय अनुपातों की सीमा के निबंधनानुसर वित्तीय सामर्थ्य, निरर्हताएं, उन सौदों या समाशोधन या परिनिर्धारण की मात्रा की

न्यूनतम शुद्ध मूल्य संबंधी ऐसी अपेक्षाएं और सीमा, यदि कोई है, जो ऐसा सदस्य बुलियन एक्सचेज या बुलियन समाशोधन निगम में कर सकता है, वह रीति, जिसमें सदस्यता के लिए आवेदनों पर बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी, विरोध के परिवर्जन, नैतिक व्यवहार और कारबार में आवेदकों और सदस्यों के आचरण संबंधी उपबंध भी है, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम की उप-विधियों में विस्तार से उपबंध किया जाएगा।

बुलियन एक्सचेंज के सदस्य और उपभोक्ता के बीच सविदाएं

30. किसी बुलियन एक्सचेंज के सदस्यों या बुलियन समाशोधन सदस्य या उपभोक्ता के बीच संविदा लिखित में होगी और उसे यथास्थिति, उस बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम के नियमों और उप-विधियों के अनुसार, जिसके वे सदस्य हैं, प्रवर्तित किया जाएगा।

अध्याय 9

बुलियन निक्षेपागार

बुलियन निक्षेपागारों की मान्यता

31. विनियम 3, विनियम 5 और विनियम 6 में अंतर्विष्ट मान्यता के लिए आवेदन, प्राधिकरण द्वारा मान्यता देने और मान्यता के प्रत्याहरण से संबंधित उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी बुलियन निक्षेपागार को लागू होंगे ।

बुलियन निक्षेपागार को मान्यता प्रदान करने के लिए अपेक्षाएं

- 32. (1) प्राधिकरण, किसी बुलियन निक्षेपागार को मान्यता प्रदान करने पर विचार करने के लिए उन सभी बातों को जो किसी बुलियन निक्षेपागार के दक्ष और व्यवस्थित कार्यकरण से सुसंगत हैं और विशेष रूप से निम्नलिखित बातों को विचार में लेगा, अर्थात्, क्या बुलियन निक्षेपागार
 - (क) की शुद्ध संपत्ति सतत आधार पर कम से कम 1.5 करोड़ अमेरिकी डालर है;
 - (ख) की उप-विधियां और विधिक दस्तावेज़ बुलियन निक्षेपाकार के उद्देश्य से संगत हैं और वे उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए हैं;
 - (ग) ने ऐसे वॉल्ट प्रबंधक से करार किया है जिसके पास बुलियन के सुरक्षित भंडारण और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, मानक हैं;
 - (घ) ने बुलियन निक्षेपागार, भागीदारों, जारीकर्ताओं और जारीकर्ताओं के अभिकर्ताओं के बीच डाटा के इलैक्ट्रानिक संचार के लिए कोडीकृत प्रेषण और मिलान प्रणाली के मानक स्थापित किए हैं;
 - (ङ) के पास परिसर, सुविधाओं, स्वचालित डाटा प्रक्रमण तंत्रों, डाटा भंडारण स्थलों और सुविधाओं तक, जिनके अंतर्गत बैकअप स्थल और सुविधाएं हैं, भौतिक या इलैक्ट्रानिक पहुंच सुगम है और सुविधाओं और बुलियन निक्षेपगार, भागीदारों, जारीकर्ताओं और जारीकर्ताओं के अभिकरणों को जोड़ने वाले इलैक्ट्रानिक डाटा संचार नेटवर्क को नियंत्रित, मानीटर और अभिलिखित किया जाता है:
 - (च) ने हिताधिकारी स्वामियों को ऐसी किसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए, जो ऐसे हिताधिकारी स्वामियों को बुलियन निक्षेपागार या उसके भागीदारों या अभिकर्ताओं या उनके किसी भी कर्मचारी के सदोष कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा कारित हो सकेगी, पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं, जिनके अंतर्गत बीमा भी है।
- (2) प्राधिकरण, किसी बुलियन निक्षेपागार को इन विनियमों के अधीन अपना प्रचालन प्रारंभ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट द्वारा स्थापित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और प्रणाली का भौतिक सत्यापन करेगा।

अध्याय 10

बुलियन निक्षेपागार के स्वामित्व और शासन संबंधी मानदंड

33. बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम के लिए अध्याय 5 और 6 में विनिर्दिष्ट स्वामित्व और शासन संबंधी मानदंड किसी बुलियन निक्षेपागार को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगे।

अध्याय 11

बुलियन निक्षेपागारों, भागीदारों और हिताधिकारी स्वामियों

के अधिकार और बाध्यताएं

किसी बुलियन निक्षेपागार और किसी भागीदार के बीच करार

- 34. (1) कोई बुलियन निक्षेपागार एक या अधिक भागीदारों के साथ अपने अभिकर्ता के रूप में करार करेगा।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रत्येक करार ऐसे प्ररूप में होगा, जो ऐसे बुलियन निक्षेपागार की उप-विधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

बुलियन निक्षेपागार की सेवाएं

35. कोई व्यक्ति, किसी बुलियन निक्षेपागार की सेवाओं का उपभोग करने के लिए उसके साथ किसी भागीदार के माध्यम से ऐसे प्ररूप में, जो उप-विधियां विनिर्दिष्ट करें, करार कर सकेगा।

बुलियन निक्षेपागार रसीद के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण

36. प्रत्येक बुलियन निक्षेपागार, किसी भागीदार से सूचना प्राप्त होने पर, बुलियन निक्षेपागार रसीद के अंतरण को अंतरिती के नाम में रजिस्टर करेगा।

बुलियन निक्षेपागार रसीदों का प्रतिमोच्य रूप में होना

37. किसी बुलियन निक्षेपागार द्वारा जारी की गई प्रत्येक बुलियन निक्षेपागार रसीद डीमैट रूप में होगी।

बुलियन निक्षेपागारों और हिताधिकारी स्वामियों के अधिकार

- 38. (1) बुलियन निक्षेपागार, हिताधिकारी स्वामी की ओर से बुलियन के स्वामित्व का अंतरण करने के प्रयोजनों के लिए बुलियन का रजिस्ट्रीकृत स्वामी समझा जाएगा।
- (2) उप-विनियम (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बुलियन निक्षेपागार का, उसके द्वारा धारित बुलियन की बाबत बुलियन के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में कोई अन्य अधिकार नहीं होगा ।
- (3) हिताधिकारी स्वामी, बुलियन निक्षेपागार द्वारा धारित उसके बुलियन की बाबत सभी अधिकारों और फायदों का हकदार होगा और उसके समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा ।

हिताधिकारी स्वामी का रजिस्टर

39. प्रत्येक बुलियन निक्षेपागार, हिताधिकारी स्वामियों का एक रजिस्टर और उनकी एक सूची उस रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए, रखेगा।

बुलियन निक्षेपागार में धारित बुलियन को गिरवी या आडमान रखना

- 40. (1) कोई हिताधिकारी स्वामी, बुलियन निक्षेपागार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे हिताधिकारी स्वामी के स्वामित्वाधीन बुलियन की बाबत किसी बुलियन निक्षेपागार के माध्यम से गिरवी या आडमान का सृजन कर सकेगा।
- (2) प्रत्येक हिताधिकारी स्वामी ऐसी गिरवी या आडमान की सूचना बुलियन निक्षेपागार को देगा और ऐसा बुलियन निक्षेपागार इसके बाद अपने अभिलेख में तदनुसार प्रविष्टियां करेगा।
- (3) उप-विनियम (2) के अधीन किसी बुलियन निक्षेपागार के अभिलेखों में की गई कोई प्रविष्टि गिरवी या आडमान के साक्ष्य के रूप में मानी जाएगी।

बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट प्रबंधक द्वारा जानकारी और अभिलेख प्रस्तुत करना

- 41. (1) प्रत्येक बुलियन निक्षेपागार, बुलियन निक्षेपागार रसीद के वॉल्ट प्रबंधक को हिताधिकारी स्वामियों के नाम में बुलियन के अंतरण के बारे में जानकारी ऐसे अंतराल पर और ऐसी रीति में, जो उप-विधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक वॉल्ट प्रबंधक, बुलियन निक्षेपागार को ऐसे निक्षेपागार द्वारा धारित बुलियन की बाबत ऐसे सुसंगत अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा, जो विहित किए जाएं।

(3) कोई बुलियन निक्षेपागार, किसी वॉल्ट प्रबंधक को तब तक नहीं रखेगा जब तक ऐसे वॉल्ट प्रबंधक ने प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त न कर लिया हो ।

बुलियन निक्षेपागारों द्वारा कतिपय मामलों में हानि की क्षतिपूर्ति करना

- 42. (1) बुलियन निक्षेपागार, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हिताधिकारी स्वामी को बुलियन निक्षेपागार या उसके भागीदार के सदोष कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण कारित किसी हानि की बाबत ऐसे हिताधिकारी स्वामी की क्षतिपूर्ति करेगा।
- (2) जहां उप-विनियम (1) के अधीन भागीदार की उपेक्षा के कारण हुई हानि की बुलियन निक्षेपागार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है वहां बुलियन निक्षेपागार को ऐसे किसी भागीदार से उसकी वसूली करने का अधिकार होगा।

अध्याय 12

वॉल्ट प्रबंधक

वॉल्ट प्रबंधकों का रजिस्ट्रीकरण

- 43. (1) कोई वॉल्ट प्रबंधक रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को उस प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन करेगा। वॉल्ट प्रबंधक इस आशय का एक वचनबंध भी प्रस्तुत करेगा कि वह विनियम 43 के उप-विनियम (1) के अधीन अपने दायित्वों को अभिस्वीकार करता है और उनसे सहमत है।
- (2) प्राधिकरण, बुलियन के भंडारण के लिए वॉल्ट के रूप में प्रचालन करने हेतु अपेक्षाएं, जिसके अंतर्गत शुद्ध संपत्ति और आधारभूत संरचना भी है, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
 - (3) प्राधिकरण, सम्यक् रूप से अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा ।
- (4) प्राधिकरण, आवेदक को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना, रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन को नामंजूर नहीं करेगा।
 - (5) रजिस्ट्रीकरण, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक नवीकरण के अध्यधीन होगा ।

वॉल्ट प्रबंधकों के दायित्व

- 44. (1) वॉल्ट प्रबंधक, उसके द्वारा प्रबंधित किसी वॉल्ट में भंडारित बुलियन को हुई ऐसी हानि या ऐसी किसी क्षति के लिए, जो उसकी अभिरक्षा में रखे बुलियन के सतर्क और सचेत स्वामी के रूप में बुलियन के संबंध में ऐसी सावधानी और तत्परता बरतने में उसकी असफलता के कारण कारित हुई है, दायी है।
- (2) यदि वॉल्ट प्रबंधक द्वारा समस्त सावधानी और पूर्वावधानियां बरतने के बावजूद अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बुलियन क्षतिग्रस्त या गुम हो जाता है तो बुलियन के निक्षेप के समय बुलियन के मूल्य के बराबर प्रतिकर वॉल्ट प्रबंधक द्वारा संदेय होगा।
- (3) यदि बुलियन वॉल्ट प्रबंधक की उपेक्षा के कारण क्षतिग्रस्त या गुम हो जाता है तो यथास्थिति, हिताधिकारी स्वामी या निक्षेपकर्ता को बुलियन के मूल्य तथा लाभ के नुकसान के बराबर प्रतिकर संदेय होगा।
- (4) वॉल्ट प्रबंधक, बुलियन को हुई ऐसी किसी हानि, विनाश, नुकसानी या विकृति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसके लिए अप्रत्याशित घटना, युद्धात्मक कार्य, सार्वजनिक शत्रु का कार्य और ऐसी ही परिस्थितियां जिम्मेदार हैं।
- (5) वॉल्ट प्रबंधक विभिन्न जोखिमों की प्रतिपूर्ति करने और उनके शमन के लिए ऐसा पर्याप्त बीमा रखेगा, जो बुलियन निक्षेपागार या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

वॉल्ट प्रबंधक द्वारा वॉल्टिंग कारबार के अभिलेख और लेखा रखना

- 45. (1) प्रत्येक वॉल्ट प्रबंधक, वॉल्ट के प्रचालन से संबंधित सभी संव्यवहारों के अभिलेख और लेखाओं का, जिसके अंतर्गत वॉल्ट में प्राप्त और वहां से निकाले गए समस्त बुलियन के और बुलियन निक्षेपागार के माध्यम से इस बाबत जारी की गई समस्त बुलियन निक्षेपागार रसीदों के अभिलेख और लेखा भी हैं, एक पूर्ण और सही सैट इलैक्ट्रानिक रूप में एक सुरक्षित स्थान पर रखेगा।
- (2) वॉल्ट प्रबंधक, उप-विनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वॉल्ट कारबार के सभी अभिलेख और लेखा, किसी अन्य कारबार के अभिलेखों और लेखाओं से पृथक और सुभिन्न, उस रूप में और उस रीति में तथा ऐसी अवधि के

लिए, जो प्राधिकरण या ऐसा बुलियन निक्षेपागार, जिसमें ऐसा वॉल्ट या ऐसे वॉल्ट पैनलित हैं, विनिर्दिष्ट करे, संख्यात्मक क्रम में रखेगा।

(3) वॉल्ट प्रबंधक, वॉल्ट कारबार के अभिलेखों और लेखाओं को प्राधिकरण, बुलियन एक्सचेंज और ऐसे बुलियन निक्षेपागार को, जिसके पास ऐसा वॉल्ट या ऐसे वॉल्ट पैनलित हैं, किसी भी समय, जब भी उनके द्वारा वांछा की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

अध्याय 13

बुलियन निक्षेपागार रसीद

बुलियन निक्षेपागार रसीद

- 46. (1) कोई भी व्यक्ति, इन विनियमों के अनुसार ही बुलियन निक्षेपागार रसीदें जारी करेगा।
- (2) बुलियन निक्षेपागार रसीदें, जो कि इलैक्ट्रानिक रूप में होंगी, बुलियन के स्वामित्व का दस्तावेज़ होगी, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात:-
 - (क) बुलियन निक्षेपागार रसीद संख्यांक;
 - (ख) वॉल्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और वह तारीख जिस तक वह विधिमान्य है;
 - (ग) वॉल्ट का नाम और उसका पूरा डाक पता;
 - (घ) निक्षेपकर्ता का नाम और पता;
 - (ङ) बुलियन निक्षेपागार रसीद जारी करने की तारीख;
 - (च) यह कथन कि प्राप्त बुलियन उसके हिताधिकारी स्वामी को परिदत्त किया जाएगा;
 - (छ) भंडारण प्रभारों और संचालन प्रभारों की दरें;
 - (ज) बुलियन का वर्णन, उसकी मात्रा और ग्रेड की विशिष्टियों सहित;
 - (झ) निक्षेप के समय बुलियन का बाजार मूल्य;
 - (ञ) बुलियन पर निक्षेपकर्ता के प्राइवेट चिह्न, यदि कोई हैं:
 - (ट) उस बीमा कंपनी का नाम, जो अग्नि, बाढ़, चोरी, सेंधमारी, दुर्विनियोजन, दंगों, हड़तालों या आतंकवाद के लिए क्षतिपूर्ति करेगी;
 - (ठ) वॉल्ट प्रबंधक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के तारीख सहित हस्ताक्षर;
 - (ड) और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो बुलियन एक्सचेंज या प्राधिकरण द्वारा विहित की जाएं।
- (3) यदि कोई वॉल्ट प्रबंधक किसी बुलियन निक्षेपागार रसीद में उप-विनियम (1) में उपवर्णित किसी विशिष्टि का जानबूझकर लोप करता है तो ऐसा वॉल्ट प्रबंधक ऐसे लोप द्वारा कारित नुकसानी के लिए दायी होगा ।
- (4) कोई भी बुलियन निक्षेपागार रसीद, उप-विनियम (1) में कथित किसी विशिष्टि के लोप मात्र के कारण, विवादों या दावों के परिनिर्धारण के प्रयोजनार्थ अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

बुलियन का वॉल्टों में निक्षेप करना

- 47. (1) कोई निक्षेपकर्ता, बुलियन के निक्षेप के लिए, किसी भागीदार के माध्यम से किसी बुलियन निक्षेपागार में पैनलित किसी वॉल्ट से अनुरोध करेगा।
- (2) वॉल्ट प्रबंधक या इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, निक्षेपकर्ता द्वारा बुलियन के निक्षेप के समय समस्त आवश्यक दस्तावेजीकरण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा।

(3) वॉल्ट प्रबंधक, बुलियन के निक्षेप के समय, बुलियन के उचित परिदान मानक के परीक्षण के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से एक पारखी की सेवाएं लेगा ।

17

(4) वॉल्ट प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि वॉल्ट उस उचित परिदान मानक को पूरा करता है, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

बुलियन निक्षेपागार रसीद का जारी किया जाना

- 48. (1) वॉल्ट प्रबंधक, निक्षेपकर्ता से बुलियन की प्राप्ति पर और समस्त आवश्यक दस्तावेजीकरण पूरा करने के पश्चात्, किसी बुलियन निक्षेपागार के माध्यम से ऐसे निक्षेपकर्ता के नाम में, ऐसी रीति में, जो उपबंधित की जाए, इलैक्ट्रानिक रूप में बुलियन निक्षेपागार रसीद जारी करेगा।
 - (2) प्रत्येक निक्षेपकर्ता और हिताधिकारी स्वामी का बुलियन निक्षेपागार में एक खाता होगा।
- (3) बुलियन निक्षेपागार. बुलियन निक्षेपागार रसीदों का प्रबधन, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, इलैक्ट्रानिक रूप में करेगा।

बुलियन की वापसी

- 49. (1) बुलियन निक्षेपागार, भागीदार के माध्यम से हिताधिकारी स्वामी से बुलियन की वापसी के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, अनुमोदन प्रदान करेगा और उसकी सूचना संबंधित वॉल्ट प्रबंधक को देगा ।
- (2) वॉल्ट प्रबंधक, ऊपर उप-विनियम (1) के अधीन अनुमोदन प्राप्त होने पर उस बुलियन को, जिसका प्रतिनिधित्व ऐसी बुलियन निक्षेपागार रसीद करती है, हिताधिकारी स्वामी द्वारा ऐसे दस्तावेज़, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करने और बुलियन की प्राप्ति को लिखित में अभिस्वीकार करने के अधीन रहते हुए, हिताधिकारी स्वामी को परिदत्त करेगा।
- (3) यदि वॉल्ट प्रबंधक इस विनियम के उपबंधों के अनुपालन में बुलियन का परिदान करने से इनकार करता है या परिदान करने में असफल रहता है तो इनकारी और असफलता के लिए विधिपूर्ण बहाने की विद्यमानता को स्थापित करने के सबूत का भार वॉल्ट प्रबंधक पर होगा।
 - (4) वॉल्ट प्रबंधक, वॉल्ट से बुलियन की वापसी पर, उसकी सूचना बुलियन निक्षेपागार को दैगा।

बुलियन का परिदान सम्यक् प्रभारों का भुगतान करने के पश्चात् किया जाना

50. जब किसी बुलियन की बाबत कोई बुलियन निक्षेपागार रसीद जारी की गई है तब वॉल्ट प्रबंधक उस बुलियन का परिदान बुलियन निक्षेपागार रसीद के हिताधिकारी स्वामी को तब तक नहीं करेगा जब तक वॉल्ट प्रबंधक को सम्यक् प्रभारों का भुगतान नहीं कर दिया जाता और बुलियन निक्षेपागार रसीद रद्द करने के लिए अभ्यर्पित नहीं कर दी जाती।

अध्याय 14

उपयुक्त और उचित अपेक्षाएं

'उपयुक्त और उचित' की अपेक्षा

- 51. (1) बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और तात्विक शेयरधारक सभी समय पर उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं।
 - (2) उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति तब उपयुक्त और उचित व्यक्ति समझा जाएगा, यदि :
 - (क) ऐसे व्यक्ति की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के संबंध में सामान्य ख्याति और कीर्ति है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है किन्तु यहां तक सीमित नहीं है-
 - (i) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
 - (ii) अच्छी ख्याति और चरित्र; और
 - (iii) ईमानदारी;
 - (ख) ऐसे व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई भी निरर्हता उपगत नहीं की है –

- (i) उस व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार को किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विलत है या किसी आर्थिक अपराध या प्रतिभूति संबंधी विधियों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है;
- (ii) उस व्यक्ति के विरुद्ध समापन संबंधी कोई आदेश पारित किया गया है;
- (iii) उस व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार को दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है;
- (iv) प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार को प्रतिभूतियों में व्यवहार करने से या प्रतिभूति बाजार या बुलियन बाजार का निर्धारण करने से अवरुद्ध, प्रतिषिद्ध या वर्जित करने वाला कोई आदेश पारित किया गया है और उस आदेश में विनिर्दिष्ट अविध के अवसान की तारीख से तीन वर्ष की अविध समाप्त नहीं हुई है;
- (v) प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार के विरुद्ध ऐसा कोई अन्य आदेश पारित किया गया है जिसका संबंध बुलियन बाजार से है और उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (vi) सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को विकृत चित्त वाला पाया गया है और वह निष्कर्ष प्रवृत्त है;
- (vii) वह व्यक्ति वित्तीय दृष्टि से ठोस नहीं है और उसे जानबूझकर व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- (viii) फरार आर्थिक अपराधी; या
- (ix) प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कोई अन्य निरर्हता ।
- (3) यदि किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम या बुलियन निक्षेपागार के इस बारे में किए गए विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति उपयुक्त और उचित व्यक्ति है अथवा नहीं, तो ऐसे प्रश्न के संबंध में प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय 15

मध्यवर्तियों और अन्य व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण

मध्यवर्तियों और बुलियन बाजार से सहयुक्त व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण

- 52. (1) कोई भी बुलियन व्यापारिक सदस्य, बुलियन समाशोधन सदस्य, भागीदार, परिष्कारक, निक्षेपकर्ता, संभार प्रदाता, वॉल्ट प्रबंधक और ऐसा अन्य मध्यवर्ती, जो बुलियन बाजार से सहयुक्त हो सकेगा, जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, ऐसी अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत शुद्ध संपत्ति, अवसंरचना, सुसंगत अनुभव, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है, प्राधिकरण से अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुसार ही बुलियन बाजार से संबंधित किसी क्रियाकलाप में भाग लेगा।
- (2) उप-विनियम (1) में आने वाले व्यक्ति, विनियम 50 में विनिर्दिष्ट उपयुक्त और उचित मानदंडों का अनुपालन करेंगे ।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, किया जाएगा।
- (4) इस आवेदन पर संबंधित यथास्थिति, बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन निक्षेपागार द्वारा प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए कार्यवाही की जाएगी और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने संबंधी सिफारिश सहित प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा।

(5) प्राधिकरण, या तो स्वप्रेरणा से या संबंधित यथास्थिति, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन समाशोधन निगम या बुलियन निक्षेपागार की सिफारिश पर, आदेश द्वारा, प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

परन्तु रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के स्वेच्छया अभ्यर्पण के मामले के सिवाय, इस उप-विनियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो ।

अध्याय 16

प्रकीर्ण

वैबसाइट का रखा जाना

- 53. प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट प्रबंधक को -
 - (1) ऐसी समस्त जानकारी प्रकाशित करने के लिए, जो वह इन विनियमों के अधीन प्रकाशित करने के लिए बाध्य है:
 - (2) बनाए गए सभी नियमों, विनियमों, उपविधियों और जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों की, जिसके अंतर्गत उनके सभी संशोधन भी हैं, प्रति उपलब्ध कराने के लिए;
 - (3) उस रीति के बारे में, जिसमें सदस्यता या सहबद्धता के लिए आवेदन किए जाने हैं, जानकारी प्रदान करने के लिए; और
 - (4) कृत्यों के बारे में तात्विक जानकारी प्रदान करने के लिए,

एक वैबसाइट या इलैक्ट्रानिक जानकारी का सर्वत्र सुलभ कोई अन्य निक्षेपागार रखना चाहिए।

वार्षिक शुद्ध संपत्ति का प्रमाणपत्र

54. प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समशोधन निगम और बुलियन निक्षेपागार, वार्षिक आधार पर, प्रत्येक वर्ष अप्रैल तक, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अपने संबंधित कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित शुद्ध संपत्ति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

लेखा बहियां, अभिलेख और अन्य दस्तावेज़ रखना

- 55. (1) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन निक्षेपागार, वॉल्ट और अध्याय 15 में उल्लिखित ऐसा अन्य मध्यवर्ती, ऐसी लेखा-बहियां और अन्य दस्तावेज़ रखेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
- (2) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी लेखा-बहियां, अभिलेख और अन्य दस्तावेज़ कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे ।

विवरणियां और रिपोर्टें

- 56. (1) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट प्राधिकरण को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए या जैसा प्राधिकरण निदेश दे, ऐसी विवरणियां और विवरण और ऐसी विशिष्टियां, जैसा कि प्राधिकरण समय-समय पर अपेक्षा करे, देगा।
- (2) उप-विनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नब्बे दिन के भीतर, प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूरा लेखा देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

विनियामक फीस

57. प्रत्येक मान्यताप्राप्त बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन निक्षेपागार और अन्य मध्यवर्ती ऐसी विनियामक फीस का संदाय करेंगे, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

कठिनाइयों को दूर करने, प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

58. इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में किसी कठिनाई या इन विनियमों के अप्रभावी प्रचालन की दशा में,

प्राधिकरण दिशानिर्देशों या परिपत्रों द्वारा आवश्यक मानदंड, प्रक्रियाएं, प्रक्रमण, रीतियां विनिर्दिष्ट कर सकेगा या शिथिलताओं का उपबंध कर सकेगा।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./404/2020]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 4th December, 2020

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (BULLION EXCHANGE) REGULATIONS, 2020

IFSCA/2020-21/GN/REG005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations to provide a framework for recognition of bullion exchanges, its clearing corporations, depositories and vaults and for matters connected therewith or incidental thereto, namely: —

CHAPTER 1

PRELIMINARY

Short title and commencement

- 1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

- 2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly:—
 - (a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) "associate" in relation to a person shall include another person:
 - (i) who, directly or indirectly, by himself, or in combination with other persons, exercises control over the first person;
 - (ii) who holds control of at least twenty percent of the total voting power of the first person;
 - (iii) who is a holding company or a subsidiary company of the first person;
 - (iv) who is a relative of the first person;
 - (v) who is a member of a Hindu Undivided Family wherein the first person is also a member;
 - (vi) such other cases where the Authority is of the view that a person shall be considered as an associate based on the facts and factors, including the extent of control, independence and conflict of interest.
 - (c) "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under subsection (1) of section 4 of the Act;
 - (d) "banking company" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or a banking company incorporated under a foreign jurisdiction;

- (e) "beneficial owner" in relation to a bullion depository receipt means a person whose name is recorded as such with a bullion depository;
- (f) "bullion" shall mean precious metals, including gold, silver or any other precious metal in the form of bars or unallocated gold, silver, or such other precious metals, as the Authority may consider relevant in this regard, relating to good delivery, quality, quantity, and any other aspect in relation to bullion trading from time to time;
- (g) "bullion clearing corporation" means a Financial Institution under clause

(c) of sub-section (1) of section 3 of the Act, recognised by the Authority under these regulations, to offer clearing and settlement functions in the bullion market;

- (h) "bullion clearing member" means a person having clearing rights in any recognised bullion clearing corporation and as such registered by the Authority;
- "bullion contract" means a contract for the purchase and sale of bullion, bullion depository receipts or such other bullion products, including derivatives on bullion, bullion spot delivery contracts, and such other contracts as may be permitted by the Authority;
- (j) "bullion depository" means a Financial Institution under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act, recognised by the Authority under these regulations, to carry on depository business in bullion in an International Financial Services Centre;
- (k) "bullion depository receipt" means a receipt issued in electronic form with underlying bullion by a bullion depository, under these regulations, to a depositor on receipt of bullion for storage by an empanelled vault, which can be traded on any recognised bullion exchange;
- (l) "bullion exchange" means a Financial Institution under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act, established recognised for the purpose of assisting, regulating and controlling bullion contracts in an International Financial Services Centre;
- (m) "bullion market" includes the bullion exchanges, bullion clearing corporations, bullion depositories, vaults, bullion contracts dealt therein, and any other persons involved therein;
- (n) "bullion trading member" means a person having trading rights in any bullion exchange;
- (o) "company" means a company as defined in section 2 of the Companies Act, 2013 and shall include a company incorporated in a foreign jurisdiction;
- (p) "consumer" means a constituent of a bullion trading member;
- (q) "control" includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner.
 - Provided that a director or officer of a target company shall not be considered to be in control over such target company, merely by virtue of holding such position;
- (r) "depositor" means a consumer who delivers bullion to the vaults empanelled with any bullion depository for storage;
- (s) "good delivery standard" means the quality or standard of bullion as notified by the Bureau of Indian Standards or any other entity as may be determined by the bullion exchange;
- (t) "governing body" means the board of directors of the bullion exchange, bullion clearing corporation or a bullion depository;
- (u) "insurance company" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (8) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or an insurance company incorporated under a foreign jurisdiction;
- (v) "netting" means the determination by a bullion clearing corporation of net payment or delivery obligations of the bullion clearing members of a bullion clearing corporation by setting off or adjustment of the inter- se obligations or claims arising out of bullion depository receipts;
- (w) "net worth" means the aggregate value of paid up equity share capital plus share premium account and free reserves (excluding statutory funds, benefit funds and reserves created out of revaluation) reduced by the investments in businesses, whether related or unrelated, aggregate value of accumulated losses

- and deferred expenditure not written off, including miscellaneous expenses not written off;
- (x) "participant" means a bullion depository participant registered as such under these regulations;
- (y) "persons acting in concert" in the context of acquisition or holding of bullion depository receipts or control shall *mutatis mutandis* have the same meaning as assigned to it in clause(q) of sub-regulation
 (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 or any amendments thereof;
- (z) "public" includes any member or section of the public but does not include any bullion trading member or bullion clearing member or their associate or agents;
- (aa) "public financial institution" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (72) of section 2 of the Companies Act, 2013.
- (bb) "records" or "documents" include records or documents maintained in physical form or as an electronic record as defined under clause (t) of sub section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2002 or in such other form as may be specified by the Authority;
- (cc) "registered owner" in relation to bullion depository receipt means a bullion depository whose name is entered as such in the register of the vault manager;
- (dd) "regulations" means International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020, as may be amended from time to time;
- (ee) "regulatory department" means a department of a bullion exchange or a bullion clearing corporation or a bullion depository which is entrusted with regulatory powers and duties and includes such department as may be specified by the Authority;
- (ff) "vault" means any premises wherein the vault manager takes custody of the bullion deposited by the depositor and includes a place for storageas approved by Authority;
- (gg) "vaulting business" means the business of establishing and maintaining vaults for storage of bullion;
- (hh) "vault manager" means a person, registered by the Authority who manages the vault empanelled by a bullion depository for carrying on the vaulting business.
- 3. Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts.

CHAPTER II

RECOGNITION OF BULLION EXCHANGE AND BULLION CLEARING CORPORATION

Application for recognition of bullion exchange and bullion clearing corporation

- 4. (1) No person shall conduct, organise or assist in organising any bullion exchange or bullion clearing corporation unless such person has obtained recognition from the Authority in accordance with these regulations.
 - (2) Anybody corporate, which is desirous of being recognised as a bullion exchange or bullion clearing corporation may submit an application in the form and manner as may be specified by the Authority.
 - (3) Every application under sub-regulation (2) shall contain such particulars as may be specified, and shall be accompanied by a copy of the bye-laws of

the bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, for the regulation and control of bullion contracts and also a copy of the rules relating in general to the constitution of the bullion exchange or the bullion clearing corporation, and in particular, to:

- (a) the governing body of such bullion exchange or bullion clearing corporation, its constitution and powers of management and the manner in which its business is to be transacted;
- (b) the powers and duties of the office bearers of the bullion exchange or bullion clearing corporation;
- (c) the admission into the bullion exchange or bullion clearing corporation of various classes of members, the qualifications for membership, and the exclusion, suspension, expulsion and readmission of such members;
- (d) such other matter(s) as may be specified by the Authority.

(4) Every application under sub-regulation (2) for recognition as a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall be accompanied with such fee as may be specified by the Authority.

Requirements for grant of recognition to a bullion exchange or bullion clearing corporation

- 5. (1) The applicant seeking recognition as a bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, shall:-
 - (a) be a company limited by shares;
 - (b) have demutualized;
 - (c) have a net worth of 30 million USD, to be maintained on a continuing basis;
 - (d) have its directors and its shareholders who hold or intend to hold shares, who are fit and proper persons as specified in these regulations;
 - (e) satisfy the requirements relating to ownership and governance structure specified in these regulations;
 - (f) have requisite capability including its financial capacity, functional expertise and infrastructure.

Explanation: - For the purposes of the sub-clause (b) of this regulation, the term "demutualised" means ownership and management of the applicant is segregated from the trading rights or clearing rights, as the case may be.

- (2) An applicant seeking recognition as a bullion exchange shall, in addition to the conditions as specified in sub-regulation (1), have,
 - (a) necessary infrastructure for the orderly execution of trades;
 - (b) an online screen-based trading system;
 - (c) an online surveillance capability which monitors positions, prices and volumes in real time so as to ensure market integrity;
 - (d) adequate infrastructure to list bullion depository receipts for trading on its platform, wherever applicable;
 - necessary capability to have a comprehensive network of trading members and has adequate facility to admit and regulate its members;
 - (f) necessary arrangements to establish connectivity with its trading members and bullion clearing corporation;
 - (g) adequate Consumer Education and Protection Fund;
 - (h) consumers' grievance redressal mechanism and arbitration mechanism to resolve disputes arising out of trades and its settlement;
 - (i) facility to disseminate information about trades, quantities and quotes in real time to at least two information vending networks which are accessible to consumers;
 - (j) adequate systems' capacity supported by a business continuity plan including a disaster recovery site to ensure fair and equitable access;
 - (k) in its employment, sufficient number of persons having adequate professional and other relevant experience;
 - (l) such other conditions as may be specified by the Authority.

Grant of recognition to a bullion exchange or bullion clearing corporation

- 6. (1) If the Authority is satisfied, after making such inquiry as may be necessary in this behalf and after obtaining such further information as it may require, that the following criteria is met, it may grant recognition to the bullion exchange or the bullion clearing corporation subject to the conditions specified under these regulations, and such other additional conditions as it may deem fit:
 - (a) that the rules and bye-laws of the bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, applying for recognition

are in conformity with such conditions as may be required with a view to ensure fair dealings and to protect consumers;

- (b) that the bullion exchange or the bullion clearing corporation is willing to comply with such other conditions which the Authority, having regard to its business activities, its standing and such other factors, may impose; and
- (c) that it would be in the interest of the bullion market and also in interest of trade to grant recognition to the bullion exchange or the bullion clearing corporation.
- (2) The conditions which the Authority may impose under sub- regulation (1), may include and relate to, among other matters:
 - (a) the qualifications for membership of the bullion exchange orbullion clearing corporation;
 - (b) the manner in which contracts shall be entered into and enforced as between members;
 - (c) the requirements of ownership, governance, infrastructure, financial capacity and functional expertise of the bullion exchange or the bullion clearance corporation;
 - (d) the maintenance of accounts of members and their audit by chartered accountants, whenever such audit is required by the Authority;
 - (e) publication of rules and bye laws of bullion exchange and bullion clearing corporation;
 - (f) such other matters as the Authority may deem fit in the interest of the consumers and the bullion market.
- (3) The recognition granted by the Authority under these regulations shall be for such period subject to renewal as specified by the Authority.
- (4) Every grant of recognition to a bullion exchange or a bullion clearing corporation under this regulation shall be published in the Official Gazette, and such recognition shall have effect from the date of its publication in the Official Gazette.
- (5) The bullion exchange shall commence trading operations only upon receiving an approval from the Authority in writing.
- (6) No application for the grant of recognition shall be rejected except after giving an opportunity to the applicant concerned to be heard in the matter, and the reasons for such rejection shall be communicated to the applicant in writing.
- (7) The rules or bye-laws of a bullion exchange relating to any of the matters specified in sub-regulation (3) of regulation 3, shall be amended only with the prior approval of the Authority.

Withdrawal of recognition

- 7. (1) If the Authority is of the opinion that the recognition granted to a bullion exchange or bullion clearing corporation under these regulations should, in the interest of trade or in public interest, be withdrawn, the Authority may serve on the governing body of such bullion exchange or bullion clearing corporation a written notice that the Authority is considering withdrawal of the recognition for the reasons stated in the notice.
 - (2) The Authority shall also give an opportunity to the concerned governing body to be heard in the matter.
 - (3) After considering the submissions, if any, of the concerned governing body, the Authority may withdraw, by notification in the Official Gazette, the recognition granted to the bullion exchange or the bullion clearing corporation.
 - (4) No such withdrawal shall affect the validity of any bullion contracts entered into or made before the date of such notification of withdrawal.
 - (5) The Authority may, after consultation with the bullion exchange or the bullion clearing corporation, make such provisions for the due performance of any bullion contracts outstanding on that date, as it deems fit, in the notification of withdrawal or in any subsequent notification similarly published.

CHAPTER III

FUNCTIONS OF THE BULLION EXCHANGE

Clearing and settlement of trades

8. Every bullion exchange shall, with effect from the date of the commencement of operations as a bullion exchange, use the services of a recognised bullion clearing corporation for clearing and settlement of its trades.

Agreement between bullion exchange and bullion clearing corporation

- 9. (1) Subject to the provisions of sub-regulation (2), a bullion exchange shall avail the services of a bullion clearing corporation pursuantto an agreement in writing between them in the form and manner specified by the Authority.
 - (2) The bullion exchange shall extend its arbitration mechanism for settlement of disputes or claims arising out of clearing and settlement of trades executed on such bullion exchange.

Functions of the bullion exchange

- 10. (1) Subject to the provisions of these regulations, it shall be the duty of the bullion exchange to protect the interests of consumers in the bullion market, to regulate bullion contracts, and work with global agencies or institutions in the bullion industry to promote growth, transparency and orderly development of the bullion market by such measures as the Authority may direct.
 - (2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the measures referred to therein may provide for:
 - (a) regulating the bullion contracts;
 - (b) regulating the working of the bullion trading members, and such other intermediaries who may be associated with the bullion exchange;
 - (c) establishing and enforcing good delivery standards;
 - (d) prohibiting fraudulent and unfair trade practices in the bullion market;
 - (e) promoting consumers' education and training of intermediaries of bullion market;
 - (f) calling for information from, undertaking inspection, conducting inquiries and audits of the bullion trading members, intermediaries and other persons associated with the bullion exchange;
 - (g) levying fees or other charges for carrying out the purposes of this regulation;
 - (h) setting standards of quality, quantity and other parameters and means of verification of such standards;
 - (i) setting standards for vaulting and transport of bullion;
 - (j) performing such other functions as may be specified by the Authority.

CHAPTER IV

GENERAL OBLIGATIONS OF BULLION CLEARING CORPORATIONS

General Obligations

- 11. (1) A bullion clearing corporation shall comply with the requirements under these regulations and agreement with the concerned bullion exchange.
- (2) In addition to the obligations specified under sub-regulation (1), a bullion clearing corporation shall comply with such other requirements that the Authority may impose from time to time.

Settlement and Netting

- 12. (1) The payment and settlement in respect of a transaction in a bullion exchange and bullion clearing corporation shall be determined in accordance with the netting or grossing procedure as prescribed in the bye-laws of such bullion clearing corporation and such bullion exchange.
- (2) Payment and settlement in respect of a transaction between parties referred to in sub-regulation (1), effected under the bye-laws of a bullion exchange or bullion clearing corporation, shall be final, irrevocable and binding on such parties.

(3) When a settlement has become final and irrevocable, the right of the bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, to appropriate any collaterals or deposits or margins contributed by a bullion clearing member or by consumers towards its settlement or other obligations in accordance with the bye-laws of the bullion exchange or bullion clearing corporation, shall take priority over any other liability of or claim against the said bullion clearing member or consumers, as the case may be.

Explanation- For removal of doubts, the settlement, whether gross or net, referred to in this regulation is final and irrevocable as soon as the money, bullion or other transaction payable as a result of such settlement is determined, whether or not such money, bullion or other transaction is actually paid.

Right of bullion clearing corporation

13. The right of a bullion clearing corporation to recover the dues from its bullion clearing members, arising from the discharge of their clearing and settlement functions, from the collaterals, deposits and the assets of the bullion clearing members, shall have priority over any other liability of or claim against the bullion clearing members.

CHAPTER V

OWNERSHIP OF BULLION EXCHANGE AND BULLION CLEARING CORPORATION

General conditions

- 14. (1) Save as otherwise provided in these regulations, the shareholding or voting rights of any person in a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall not exceed the limits specified in this Chapter.
 - (2) The shareholding as specified in this Chapter shall include any instrument owned or controlled, directly or indirectly, that provides for entitlement to equity or rights over equity at any future date.

Shareholding in a bullion exchange or bullion clearing corporation

- 15. (1) Any Indian bullion exchange or recognized stock exchange, or any bullion exchange or stock exchange of a foreign jurisdiction, may on its own or through a consortium form a subsidiary to provide the services of a bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, wherein up to fifty-one per cent of paid up equity share capital is held by such bullion exchange or stock exchange or the consortium formed by them.
 - (2) The remaining share capital may be acquired or held by any other person (whether Indian or of foreign jurisdiction) and such person shall not at any time, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than five per cent of the paid up equity share capital in a bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be.

Provided that a bullion exchange, a bullion depository, a stock exchange, a depository, a banking company, an insurance company, or a commodity derivatives exchange, whether Indian or of foreign jurisdiction, or a public financial institution of Indian jurisdiction, or a bilateral or multilateral financial institution approved by the Central Government, may acquire or hold, either directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, up to fifteen per cent of the paid-up equity share capital of a bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be.

Eligibility for acquiring or holding shares in bullion exchange or bullion clearing corporation

16. (1) No person shall, directly or indirectly, acquire or hold any equity shares or voting rights of a bullion exchange or bullion clearing corporation unless it is a fit and proper person:

Provided that the onus shall be on the bullion exchange or bullion clearing corporation to ensure that all its shareholders are fit and proper persons:

Provided further that such a requirement to ensure that all its shareholders are fit and proper persons shall not be applicable to a listed bullion exchange for shareholding of a person who, directly or indirectly, acquires or holds less than five percent equity shares or voting rights of such listed bullion exchange.

- (2) Any person who acquires equity shares or voting rights, in a bullion exchange or bullion clearing corporation, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, that entitles the person(s) so acquiring to exercise any voting rights above five per cent, shall seek prior approval of the Authority, in such form and the manner specified by the Authority, within fifteen days of such acquisition.
- (3) The application for seeking approval in terms of sub-regulation (2), shall be made to the Authority through the concerned bullion exchange or bullion clearing corporation.
- (4) The bullion exchange or bullion clearing corporation shall verify the declarations and undertakings

given by the shareholders under sub-regulation and forward the application along with its recommendation for approval to the Authority.

Monitoring of shareholding limits

17. The bullion exchange or bullion clearing corporation shall put in place an adequate monitoring mechanism to ensure compliance with the shareholding conditions specified in these regulations, at all times.

Disclosure of shareholding

18. The bullion exchange or the bullion clearing corporation, as the case may be, shall disclose to the Authority, in the format specified by the Authority,

their shareholding pattern on a quarterly basis within fifteen days from the end of each quarter, including the following:

- (a) the names of the ten largest shareholders along with the number and percentage of shares held by them;
- (b) the names of the shareholders who had acquired shares in that quarter.

Record keeping

19. In addition to the requirements under other laws in force, a bullion exchange and bullion clearing corporation shall maintain and preserve all the books, registers, other documents and records relating to the issue or transfer of its securities for a period of not less than eight years.

CHAPTER VI

GOVERNANCE OF BULLION EXCHANGE AND BULLION CLEARING CORPORATION

Governance of bullion exchange and bullion clearing corporation

- 20. (1) Every bullion exchange and bullion clearing corporation shall adopt the broader principles of governance prescribed by International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and principles for Financial Market Infrastructures (FMI) and such other governance norms as may be specified by the Authority, from time to time.
 - (2) The governing board of every recognised bullion exchange and recognised bullion clearing corporation shall include shareholder directors, public interest directors, and managing director, subject to the following:
 - (i) The Chairperson shall be elected by the governing board from amongst the public interest directors;
 - (ii) The number of public interest directors shall not be less than the number of shareholder directors;
 - (iii) The bullion trading members or bullion clearing members or their associates and agents, irrespective of the bullion stock exchange or bullion clearing corporation of which they are members, shall not be on the governing board;

Provided that persons on the board of a public financial institution or a bank which is in public sector, or which either has no identifiable ultimate promoter, or the ultimate promoter is in public sector or has well diversified shareholding, and such public financial institution or bank or its associate is a clearing member and/or trading member, shall not be deemed to be bullion clearing members and/or bullion trading members or their associates;

Provided further that the independent directors of the associates of public financial institution or bank in public sector, who are bullion clearing member and/or bullion trading member and where the majority shareholding is that of such public financial institution or bank in the public sector, shall also not be deemed to be a bullion clearing members and/or trading members.

- (iv) The appointment of directors shall be subject to the prior approval of the Authority and the fulfilment of other requirements as specified by the Authority.
- (v) Public interest director shall be nominated for a term of three years, extendable by another term of three years subject to performance review as may be specified by the Authority;
- (vi) The appointment of managing director shall be for a term not exceeding five years subject to maximum age limit of 65 years.

(3) Such other conditions may be specified by the Authority for securing good governance of the bullion exchange or bullion clearing corporation.

Code of Conduct for directors and key management personnel

- 21. (1) Every director and key management personnel of a recognised bullion exchange and a recognised bullion clearing corporation shall abide by the Code of Ethics and Conduct specified by the Authority.
 - (2) Every director and key management personnel of a recognised stock exchange and a recognised bullion clearing corporation shall be a fit and proper person as provided in Chapter XIV.
 - (3) The Authority may, for any failure by the directors or key management personnel to abide by these regulations or Code of Ethics and conduct or in case of any conflict of interest, either upon a reference from the recognised stock exchange or the recognised bullion clearing corporation or suo motu, take appropriate action including removal or termination of the appointment of any director or key management personnel, after providing them with a reasonable opportunity of being heard.

Segregation of regulatory departments

22. The bullion exchange and bullion clearing corporation shall segregate its regulatory departments from other departments in the manner specified by the Authority.

Statutory committees

- 23. (1) Every recognised bullion exchange or recognized bullion clearing corporation shall constitute a functional committee, comprising of member and core settlement guarantee fund committee; a grievance redressal committee; a nomination and remuneration committee; an oversight committee, comprising of standing committee on technology; an advisory committee; a regulatory oversight committee; audit committee; and a risk management committee.
 - (2) The composition, quorum and functions of the committees under sub-regulation (1) shall be in the manner as specified by the Authority.

Appointment of compliance officer

- 24. (1) Every recognised bullion exchange and recognised bullion clearing corporation shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of these regulations, or circulars or guidelines or directions issued by the Authority and for the redressal of investors' grievances.
 - (2) Non-compliance of any provision stated in sub-regulation (1) shall be immediately and independently reported by the compliance officer to the Authority.

CHAPTER VII

GENERAL OBLIGATIONS OF BULLION EXCHANGE AND

BULLION CLEARING CORPORATION

Consumer Education and Protection Fund

25. Every bullion exchange shall establish a consumer protection fund in the form of a trust, for the purpose of consumer education and providing compensation to consumers in case of defaults by the bullion trading members, in the manner as may be specified by the Authority.

Fund to guarantee settlement of trades

- 26. (1) Every bullion clearing corporation shall establish and maintain a Fund to guarantee the settlement of trades executed on a bullion exchange.
 - (2) The contribution to the Fund shall be made by the bullion exchange, the bullion clearing corporation, the bullion trading members and clearing members, in the manner as may be specified by the Authority.
 - (3) In the event of any clearing member failing to honour their settlement obligations, the Fund shall be utilized to complete the settlement.
 - (4) The corpus of the Fund shall be adequate to meet the settlement obligations arising on account of failure of clearing member(s).
 - (5) The sufficiency of the corpus of the Fund shall be tested by way of periodic stress tests, in the manner specified by the Authority.

(6) The utilization of the Fund shall be in accordance with the norms specified by the Authority.

Utilization of profits and investments

- 27. (1) The utilization of profits and investments by bullion exchange or bullion clearing corporation shall be in accordance with the norms specified by the Authority.
 - (2) The bullion exchange or bullion clearing corporation shall not carry on any other activity whether involving deployment of funds or otherwise without prior approval of the Authority;

Provided that prior approval of the Authority shall not be required in case of treasury investments if such investments are as per the investment policy approved by the governing body of bullion exchange or bullion clearing corporation;

Provided further, that the bullion exchange or bullion clearing corporation may engage in activities involving deployment of funds or otherwise, that are unrelated or not incidental to its activity as a bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, through a separate legal entity and subject to approval of the Authority.

Equal, fair and transparent access

- 28. (1) The bullion clearing corporation shall lay down a policy framework for ensuring that there is no discrimination while rendering clearing and settlement services in settlement of trades executed on shareholder bullion exchange(s) and executed on non-shareholder bullion exchange(s).
 - (2) The framework under sub-rule (1) shall be made available on the website of the bullion clearing corporation and shall provide the basis on which access to clearing and settlement services of the bullion clearing corporation has been provided to shareholder bullion exchange(s) along with the manner in which the said requirements should be complied with by non-shareholder bullion exchange(s) to obtain access to clearing and settlement services.
 - (3) The bullion exchange or bullion clearing corporation shall ensure equal, unrestricted, transparent and fair access to all persons without any bias towards its associates and related entities.

CHAPTER VIII

MEMBERSHIP OF THE BULLION EXCHANGE OR BULLION CLEARING CORPORATION

Qualifications for membership of the bullion exchange or bullion clearing corporation

29. The qualification criteria for grant of membership to the bullion exchange or the bullion clearing corporation, including form of the organisation structure, minimum qualifications and experience of the professional employees, the minimum net worth and financial strength in terms of threshold of key financial ratios, disqualifications, categories of the members and the minimum net worth requirements and the limit, if any, of the volume of trades or clearing or settlement which such member can perform in the bullion exchange or the bullion clearing corporation, the manner in which the applications for the membership shall be processed by the bullion exchange or the bullion clearing corporation, the provisions on avoidance of conflicts, ethical behaviour and conduct of the applicants

and the members in the business, shall be detailed in the bye-laws of the bullion exchange or the bullion clearing corporation.

Contracts between member of a bullion exchange and consumer

30. A contract between members of a bullion exchange or with a bullion clearing member or consumer shall be in writing and shall be enforced in accordance with the rules and bye-laws of the bullion exchange or the bullion clearing corporation as the case may be, of which they are members.

CHAPTER IX

BULLION DEPOSITORIES

Recognition of bullion depositories

31. The provisions relating to application for recognition, recognition by the Authority and withdrawal of recognition contained in regulations 3, 5 and 6 shall mutatis mutandis apply to a bullion depository.

Requirements for grant of recognition to a bullion depository

- 32. (1) The Authority shall take into account for considering grant of recognition to a bullion depository, all matters which are relevant to the efficient and orderly functioning of a bullion depository and in particular, the following, namely, whether bullion depository has
 - (a) net worth of not less than 15 million USD, on a continuous basis;
 - (b) bye-laws and legal documents are consistent with the objective of the bullion depository and for protection of the interest of consumers;
 - (c) entered into an agreement with a vault manager which has necessary infrastructure, standards, for safe storage of bullion and its security;
 - (d) established standards of encrypted transmission and reconciliation mechanisms for electronic communications of data between the bullion depository, participants, issuers and issuers' agents;
 - (e) the physical or electronic access to the premises, facilities, automatic data processing systems, data storage sites and facilities including back up sites and facilities and to the electronic data communication network connecting the bullion depository, participants, issuers and issuers' agents is controlled, monitored and recorded:
 - (f) made adequate arrangements including insurance for indemnifying the beneficial owners for any loss that may be caused to such beneficial owners by the wrongful act, negligence or default of the bullion depository or its participants or agents or of any of their employees.
- 2) The Authority shall, before granting an approval to a bullion depository to commence its operations under these regulations, make a physical verification of the infrastructure facilities and systems established by the bullion depository and a vault.

CHAPTER X

OWNERSHIP AND GOVERNACE NORMS OF BULLION DEPOSITORY

33. The ownership and governance norms specified for bullion exchange and bullion clearing corporation in Chapter V and VI shall mutatis mutandis apply to a bullion depository.

CHAPTER XI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF BULLION DEPOSITORIES, PARTICIPANTS AND BENEFICIAL OWNERS

Agreement between a bullion depository and a participant

- 34. (1) A bullion depository shall enter into an agreement with one or more participants as its agent.
 - (2) Every agreement under sub-regulation (1) shall be in such form as may be specified by the bye-laws of such bullion depository.

Services of a bullion depository

35. Any person, through a participant, may enter into an agreement, in such form as may be specified by the byelaws, with any bullion depository for availing its services.

Registration of transfer of bullion depository receipt

36. Every bullion depository shall, on receipt of intimation from a participant, register the transfer of bullion depository receipt in the name of the transferee.

Bullion depository receipts to be in fungible form

37. All bullion depository receipts issued by a bullion depository shall be in dematerialised form.

Rights of bullion depositories and beneficial owners

- 38. (1) A bullion depository shall be deemed to be the registered owner of the bullion for the purposes of effecting transfer of ownership of bullion on behalf of a beneficial owner.
 - (2) Save as otherwise provided in sub-regulation (1), the bullion depository as a registered owner of the bullion shall not have any other right in respect of the bullion held by it.
 - (3) The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of its bullion held by a bullion depository.

Register of beneficial owner

39. Every bullion depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such manner as may be prescribed by the Authority.

Pledge or hypothecation of bullion held in a bullion depository

- 40. (1) A beneficial owner may, with the previous approval of the bullion depository, create a pledge or hypothecation in respect of the bullion owned by such beneficial owner through a bullion depository.
 - (2) Every beneficial owner shall give an intimation of such a pledge or hypothecation to the bullion depository and such bullion depository shall thereupon make entries in its records accordingly.
 - (3) Any entry in the records of a bullion depository under sub-regulation (2) shall be treated as an evidence of a pledge or hypothecation.

Furnishing of information and records by bullion depository and vault manager

- 41. (1) Every bullion depository shall furnish to the vault manager of bullion depository receipt information about the transfer of bullion in the name of beneficial owners at such intervals and in such manner as may be specified by the bye-laws.
 - (2) Every vault manager shall make available to the bullion depository copies of the relevant records in respect of bullion held by such depository, as may be prescribed.
 - (3) No bullion depository shall engage a vault manager unless such vault manager has obtained registration from the Authority.

Bullion depositories to indemnify loss in certain cases

- 42. (1) Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, with respect to any loss caused to the beneficial owner due to the wrongful act, negligence or default of the bullion depository or the participant, the bullion depository shall indemnify such beneficial owner.
 - (2) Where the loss due to the negligence of the participant under sub- regulation (1) is indemnified by the bullion depository, the bullion depository shall have the right to recover the same from such a participant.

CHAPTER XII

VAULT MANAGERS

Registration of Vault Managers

- 43. (1) A vault manager shall make an application to the Authority in the form and manner specified by the Authority for obtaining registration. The vault manager shall also furnish an undertaking to the effect that it acknowledges and agrees to its liabilities under sub-regulation (1) of regulation 43.
 - (2) The Authority may specify the requirements, including net worth and infrastructure for operating as vault for storing bullion.
 - (3) The Authority after duly satisfying itself shall grant registration to the applicant.
 - (4) The Authority shall not reject any application of registration without giving due opportunity of being heard to the applicant.
 - (5) The registration shall be subject to annual renewal as per the procedure specified by the Authority.

Liabilities of Vault Managers

- 44. (1) A vault manager is liable for loss of, or any injury to, bullion stored in a vault managed by it, caused by its failure to exercise such care and diligence in regard to the bullion as a careful and vigilant owner of the bullion in their custody.
 - (2) In case the bullion is damaged or lost in spite of taking all care and precautions by the vault manager due to unavoidable circumstances, the compensation equal to the value of bullion at the time of deposit of the bullion shall be payable by the vault manager.
 - (3) In case the bullion is damaged or lost due to the negligence of the vault manager, then, the compensation shall be equal to value of the bullion plus the loss of profit shall be payable to the beneficial owner or the depositor, as the case may be.

- (4) The vault manager shall not be responsible for any loss, destruction, damage or deterioration of the bullion attributable to circumstances such as force majeure, act of war, act of public enemies and the like.
- (5) The vault manager shall keep adequate insurance to cover and mitigate various risks, as may be specified by the bullion depository or the Authority.

Vault manager to keep records and accounts of vaulting business

- 45. (1) Every vault manager shall keep in a place of safety a complete and accurate set of records and accounts of all transactions in electronic form pertaining to the operation of a vault including records and accounts of all bullion received in the vault and withdrawn there from, and of all bullion depository receipts issued in this respect through the bullion depository.
 - (2) Subject to the provisions of sub-regulation (1), the vault manager shall keep all the records and accounts of the vault business in numerical sequence separate and distinct from the records and accounts of any other business in such form and in such manner and for such period as the Authority or the bullion depository with which such vault or vaults are empaneled, may specify.
 - (3) The vault manager shall make available to the Authority, bullion exchange and bullion depository with which such vault or vaults is empanelled, for inspection of the records and accounts of the vault business at any time as may be desired by them.

CHAPTER XIII

BULLION DEPOSITORY RECEIPTS

Bullion depository receipts

- 46. (1) No person shall issue bullion depository receipts except in accordance with these regulations.
 - (2) Bullion depository receipts, which shall be in electronic form, shall be a document of title to bullion containing the following particulars, namely:
 - (a) Bullion depository receipt number;
 - (b) vault registration number and date up to which it is valid;
 - (c) name of the vault and its complete postal address;
 - (d) name and address of the depositor;
 - (e) date of issue of the bullion depository receipt;
 - (f) statement that the bullion received shall be delivered to the beneficial owner thereof;
 - (g) rates of storage charges and handling charges;
 - (h) description of the bullion with particulars of quantity and grade;
 - (i) market value of the bullion at the time of deposit;
 - (j) private marks of depositor on the bullion, if any;
 - (k) name of the insurance company indemnifying for fire, flood, theft, burglary, misappropriation, riots, strikes or terrorism;
 - (l) date and signature of the vault manager or his authorised agent;
 - (m) and such other particulars as may be prescribed by the bullion exchange or the Authority.
 - (3) In case a vault manager wilfully omits from a bullion depository receipt any of the particulars set out in sub-regulation (1), such vault manager shall be liable for damages caused by such omission.
 - (4) No bullion depository receipt shall, by reason of the omission only of any of the particulars set-forth in sub-regulation (1), be deemed to be invalid for the purpose of settlement of disputes or claims.

Depositing bullion into vaults

- 47. (1) A depositor shall place a request for the deposit of the bullion, through a participant, with a vault empaneled with a bullion depository.
 - (2) The vault manager, or any person authorised in this behalf, shall ensure the completion of all necessary

documentation, at the time of deposit of bullion by the depositor.

- (3) At the time of deposit of the bullion, the vault manager shall employ the services of an assayer, with the prior approval of the Authority, for the purposes of testing the good delivery standard of the bullion.
- (4) The vault manager shall ensure that the bullion deposited into the vault meets the good delivery standard, as may be specified by the Authority.

Issue of bullion depository receipt

- 48. (1) On receipt of bullion from a depositor and after completion of all necessary documentation, the vault manager shall issue a bullion depository receipt in the name of such depositor in electronic form through a bullion depository, in such manner as may be provided.
 - (2) Every depositor and beneficial owner shall have an account with the bullion depository.
 - (3) The bullion depository shall manage the bullion depository receipts in electronic form, in such manner as may be specified.

Withdrawal of bullion

- 49. (1) On the receipt of a request for the withdrawal of bullion from a beneficial owner through a participant, the bullion depository shall grant an approval and intimate the same to the concerned vault manager.
 - (2) On receipt of an approval under sub-regulation (1) above, the vault manager shall deliver the bullion represented by such bullion depository receipt to the beneficial owner, subject to the beneficial owner producing such documents as may be required and acknowledging in writing the receipt of the bullion.
 - (3) If a vault manager refuses or fails to deliver the bullion in compliance with the provisions of this regulation, the burden of proof shall lie on the vault manager to establish the existence of a lawful excuse for the refusal or failure.
 - (4) On the withdrawal of bullion from the vault, the vault manager shall intimate the same to the bullion depository.

Delivery of bullion to be made after due charges are paid

50. When a bullion depository receipt has been issued in respect of any bullion, the vault manager shall not deliver the bullion to the beneficial owner of bullion depository receipt until the due charges are paid to the vault manager and the bullion depository receipt is surrendered for cancellation.

CHAPTER XIV

FIT AND PROPER REQUIREMENTS

Requirement of 'fit and proper'

- 51. (1) The bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and vault manager shall ensure that all its directors, key managerial personnel and material shareholders are fit and proper persons, at all times.
- (2) For the purposes of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a fit and proper person if:
 - (a) such person has a general reputation and record of fairness and integrity, including but not limited to -
 - (i) financial integrity;
 - (ii) good reputation and character; and
 - (iii) honesty;
 - (b) such person has not incurred any of the following disqualifications -
 - (i) the person or any of its whole-time directors or managing partners, has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against the securities laws;
 - (ii) an order for winding up has been passed against the person;
 - (iii) the person, or any of its whole-time directors or managing partners, has been declared insolvent and has not been discharged;

- (iv) an order, restraining, prohibiting or debarring the person or any of its whole-time directors or managing partners, from dealing in securities or from accessing the securities market or the bullion market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;
- (v) any other order against the person, or any of its whole-time directors or managing partners, which has a bearing on the bullion market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
- (vi) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (vii) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter;
- (viii) fugitive economic offender; or
- (ix) any other disqualification as specified by the Authority.
- (3) If any question arises on the decision of a bullion exchange or bullion clearing corporation or bullion depository as to whether a person is a fit and proper person, the Authority's decision on such question shall be final.

CHAPTER XV

REGISTRATION OF INTERMEDIARIES AND OTHER PERSONS

Registration of intermediaries and persons associated with the bullion market

- 52. (1) No bullion trading member, bullion clearing member, participant, refiner, depositor, logistic provider, vault manager and such other intermediary who may be associated with the bullion market as the Authority may specify, shall participate in any activity relating to the bullion market except under, and in accordance with the conditions of a certificate of registration obtained from the Authority, subject to such requirements including net worth, infrastructure, relevant experience, as may be specified by the Authority.
 - (2) Persons in sub-regulation (1) shall comply with the fit and proper criteria specified in regulation 50.
 - (3) Every application for registration shall be in such form and manner and on payment of such fees as may be specified by the Authority.
 - (4) The application shall be processed by the concerned bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository, as the case may be, subject to fulfilment of conditions with regard to eligibility requirements as specified by the Authority and forwarded to the Authority with recommendation for granting registration.
 - (5) The Authority may, by order, either suo motu or on the recommendation of the concerned bullion exchange or bullion clearing corporation or bullion depository as the case may be, suspend or cancel a certificate of registration by the Authority.

Provided that, except in the case of voluntary surrender of certificate of registration, no order under this sub-regulation shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER XVI

MISCELLANEOUS

Maintenance of website

- 53. Every bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and vault manager must maintain a website or any other universally accessible repository of electronic information to:
 - (1) publish all information that it is obliged to publish under these regulations;
 - (2) provide a copy of all rules, regulations, bye-laws made and all guidance issued, including all amendments therein;
 - (3) provide information about the manner in which applications to be made for membership or association; and

(4) provide material information about the functions.

Annual net worth certificate

54. Every bullion exchange, bullion clearing corporation and bullion depository shall submit an audited net worth certificate from their respective statutory auditor on an annual basis by April of every year for the preceding financial year.

Maintenance of books of accounts, records and other documents

- 55. (1) Every bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository, vault and such other intermediaries mentioned in Chapter XV shall maintain and preserve such books of account and other documents as may be specified by the Authority.
 - (2) Such books of accounts, records and other documents specified by the Authority shall be maintained for a period of at least five years.

Returns and reports

- 56. (1) Every bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and vault shall furnish to the Authority at such time and in such form and manner as may be specified by the Authority or as the Authority may direct, such returns and statements and such particulars, as the Authority may, from time to time, require.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), every bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and vault, within ninety days after the end of each financial year, submit to the Authority a report in such form, as may be specified by the Authority, giving a true and full account of its activities, policy and programmes during the previous financial year.

Regulatory fee

57. Every recognised bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and other intermediaries shall pay a regulatory fee as may be specified by the Authority.

Power to remove difficulties, specify procedures and issue clarifications

58. In the event of any difficulty in giving effect to the provisions of these regulations or in effective operation of these regulations, the Authority may specify the necessary norms, procedures, processes, manners or provide relaxations, by way of guidelines or circulars.

INJETI SRINIVAS, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./404/2020]